राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 2] ग्यारहवीं विधान सभा के दूसरे सत्र का पांचवां दिवस [संख्या : 3

शुक्रवार;
26 मार्च, 1999

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई ।

(श्री परसराम मदेरणा, अध्यक्ष, पदासीन)

डा. किरोड़ी लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं एक सूचना देना चाहता हूं । अपने जो राष्ट्रीय....

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : सारा खजाना तो खाली कर गये, अब क्या सूचना दे रहे हो ?

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह (आसींद) : 25 काले हिरण आप लोगों की, सरकार की लापरवाही के कारण ...

डा. किरोड़ी लाल : 25 काले हिरणों को मार दिया । (व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा) : कुत्ते घुस गये जाकर, मार डाला वहां पर । वह घेरा टूटा हुआ था वहां पर । (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : 25 काले हिरणों को मार गिराया ।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : इतना सीरियस मामला है ।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : जो भी जिम्मेवार है उसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए ।

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) : आप बजट पेश होने दो । (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ (विधि मंत्री) : ये बातें बाद में करने की हैं, बैठो । (व्यवधान)

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : आप लोगों की लापरवाही के कारण, सरकार की लापरवाही के कारण....(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : खजाना तो खाली कर दिया आपने । (व्यवधान)

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : संसद में क्या होगा ? (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : सारा खजाना खाली कर गये, अब और क्या चाहते हो ? बजट तो पेश होने दो ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री रामस्वरूप : खजाना खाली कर गये थे । (व्यवधान)

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : आप खुश हो क्या ? 25 काले हिरण मर गये, मुझे आप खुश लग रहे हो । (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : सारे खजाने को खाली कर गये, शर्म तो आनी चाहिए थोड़ी बहुत । (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (अटरू) : कुछ तो शर्म करो, हिरणों को क्यों मरवा रहे हो ?

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : क्रिकेट मैच के टिकट (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये ।

डा. किरोड़ी लाल : अध्यक्ष महोदय, सदन में एक मंत्री बोल रहे हैं, कोने में सिकुड़ गये फिर भी अक्ल नहीं आयी । यह संसदीय भाषा है ? अभी बोला है । मंत्रीजी ने ।

श्री अध्यक्ष : माननीय किरोड़ीलाल जी ।

डा. किरोड़ी लाल : नहीं अभी बोले हैं ।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये, मैं खड़ा हूं तो कम से कम आप बिराज जाइयेगा । महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण और बजट के उपस्थापन की अपनी खुद की गरिमा और प्रतिष्ठा है, और 23 तारीख को प्रतिपक्ष के नेता महोदय तो सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद मुझसे मिलकर गये थे कि बजट के वक्त में हम निश्चित तौर पर कोई व्यवधान भी नहीं करेंगे और बजट में लेखानुदान भी पास करवाएंगे । मुझे ऐसा लग रहा है .. (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : बजट में व्यवधान डालने की हमारी कोई मंशा नहीं है, अध्यक्ष महोदय, हम इस गरिमा को समझते है । (व्यवधान)

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : बजट शुरू होते ही हम बड़ी शालीनता से (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : इस बजट को पेश ही नहीं करने देना चाहते । राजस्थान का ठप्पा आपने बैठा दिया । अब पूरे कोने में सिमटकर बैठ गये और अब बजट को भी पेश नहीं करने देना चाहते हो ? चाहते क्या हो ? जनता ने सफाया कर दिया आपका । (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : क्रिकेट के मैच का टिकट और काले हिरणों का मरना यह अत्यन्त ...

श्री श्रीचन्द कृपलानी : यह कल की घटना है, अध्यक्ष महोदय, इसलिए मजबूरी से बोल रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष : बैठिये ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपका ध्यान आकर्षित करना था, अध्यक्ष महोदय ।

श्री अध्यक्ष : बीच में नहीं, व्यवधान मत डालिये और बैठे बैठे मत बोलिये । (व्यवधान) आर्डर प्लीज ।

आय-व्ययक 1999–2000 का उपस्थापन ।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : चन्दनमलजी, ध्यान रखना राजस्थान की जनता का ।

आय-व्ययक (बजट) 1999-2000 का उपस्थापन

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से वर्ष 1998–99 के संशोधित अनुमान एवं वर्ष 1999–2000 के बजट अनुमान प्रस्तुत कर रहा हूं ।

2. वर्ष 1998–99 राज्य के लिये एक महत्वपूर्ण वर्ष रहा है । इस वर्ष

(श्री चन्दनमल बैद)

30 मार्च को राजस्थान की स्थापना हुए पचास वर्ष हो जायेंगे। उस दिन हम राजस्थान की स्थापना की स्वर्ण जयन्ती मनायेंगे। इस अवसर पर हम उन स्वतन्त्रता सेनानियों का सम्मान करते हैं जिनके त्याग और बलिदान से इस प्रदेश में सामन्ती प्रथा समाप्त हुई और यह प्रदेश अन्य सारे प्रदेशों के साथ आजाद हुआ व हमको प्रजातन्त्र प्राप्त हुआ। उचित समय पर राज्य के स्वतन्त्रता सेनानियों का सम्मान तो किया ही जायेगा। आज सबसे पहले मैं उन्हीं को याद करता हुआ उन सबको अपना सादर प्रणाम निवेदन करता हूँ तथा इस स्वर्ण जयन्ती के अवसर पर स्वतंत्रता सेनानियों को मिलने वाले सम्मान की मानदेय राशि को 1 हजार रुपये से बढ़ाकर 1 हजार 250 रुपये प्रति माह करने का प्रस्ताव करता हूँ।

3 यह वर्ष इस कारण से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इस वर्ष में राज्य की जनता ने कांग्रेस को राज्य विधान सभा के चुनाव में एक अभूतपूर्व बहुमत प्रदान किया जो तीन–चौथाई से भी अधिक है। इस भारी बहुमत से अब राज्य सरकार पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है और इस जिम्मेदारी को निभाने के लिये कांग्रेस को जन आकांक्षाओं की पूर्ति कर इस विश्वास को बनाए रखना है। कांग्रेस अपने कर्त्तव्य का पालन करेगी और वित्त मंत्री के नाते मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा के साथ निभाऊंगा। इसके बारे में मैं विस्तार से अपने प्रस्तावों में आगे जिक्र करूंगा।

4. राज्य की जिस आर्थिक स्थिति में हमने पुनः शासन की बागडोर सम्भाली है वह अत्यन्त कठिन है। हमने जब शासन छोड़ा था उस समय राज्य पर 6 हजार 127 करोड़ रुपये का कर्ज था जिसके 31 मार्च, 1999 तक बढ़कर 23 हजार 532 करोड़ 96 लाख रुपये हो जाने का अनुमान है। बढ़ते हुए ऋण का प्रभाव यह हुआ है कि वर्ष 1989–90 में जहां ब्याज के पेटे मात्र 437 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा रहा था उसके स्थान पर वर्ष 1998–99 की समाप्ति पर यह राशि 2 हजार 243 करोड़ 43 लाख रुपये होने का अनुमान है। 9 वर्ष के अन्तराल में पाँच गुने से भी अधिक ब्याज का भुगतान बढ़ गया है और राज्य के अपने कर राजस्व का लगभग आधा भाग केवल ब्याज के भुगतान पर ही व्यय हो रहा है।

5. कांग्रेस का सदैव यही प्रयास रहा है कि वह अपनी नीतियों में पारदर्शिता रखते हुए जन–सामान्य को शासन की गतिविधियों से अवगत कराये और सहभागिता के सिद्धान्तों पर चले। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हमने राज्य की वर्तमान आर्थिक व वित्तीय स्थिति से जनता को अवगत कराने की दृष्टि से राज्य की आर्थिक स्थिति पर एक श्वेत पत्र जारी किया है।

6. पांचवें वेतन आयोग की अनुशंसाओं के परिप्रेक्ष्य में केन्द्र सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के वेतन भत्तों व पेंशन में संशोधन किया गया वहीं विभिन्न राज्य सरकारें भी इससे प्रभावित हुई व राज्य सरकारों को भी कर्मचारियों के वेतन भत्ते व पेंशन आदि बढ़ानी पड़ी। इसके

(श्री चन्दनमल बैद)

परिणामस्वरूप राजस्व व्यय में भारी बढ़ोतरी हुई। दूसरी तरफ मंदी के कारण राजस्व प्राप्तियों पर भी विपरीत प्रभाव पड़ा। केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 1998-99 के लिए संघीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क के पेटे प्राप्तियों के जो बजट अनुमान रखे थे उनकी तुलना में संशोधित अनुमानों के अनुसार 9 हजार 990 करोड़ रुपये की कमी होने का अनुमान है। यही नहीं, केन्द्रीय सरकार ने अभी तक संविधान में संशोधन कर दसवें वित्त आयोग द्वारा सुझायी गयी राज्यों को राजस्व के अन्तरण की वैकल्पिक योजना जिसके अनुसार राज्यों को संघीय सकल कर राजस्व का 29 प्रतिशत भाग मिलना था, लागू नहीं की है।

7. चुनावों के ठीक बाद माननीय मुख्य मंत्री जी ने राज्य को एक पारदर्शी, संवेदनशील तथा उत्तरदायी सरकार देने की घोषणा की और यह संकल्प लिया कि चुनावों के पहले कांग्रेस के द्वारा जारी किये गये घोषणा पत्र के आधार पर वे राज्य सरकार का संचालन करेंगे। देश में यह पहली बार हुआ है कि किसी मुख्य मंत्री ने घोषणा पत्र को इतना महत्व दिया हो।

8. राज्य का बजट एक प्रकार से सरकार की भावी कार्य योजना का वित्तीय लेखा जोखा होता है। जिस कठिन वित्तीय स्थिति में हमने शासन की बागडोर सम्भाली हैं उसे एक साथ ही पुनः सुदृढ़ कर देना सम्भव नहीं हो सकता। अतः एक निश्चित उद्देश्य व कार्य योजना के साथ हम आगे बढ़ना चाहते हैं।

9. माननीय सदस्यों को विदित है कि राज्य की नवीं पंचवर्षीय योजना का आकार 27 हजार 650 करोड़ रुपये पिछली सरकार ने निश्चित करवाया था। पंचवर्षीय योजना का आकार तो बढ़ा दिया गया लेकिन उसको पूरा करने के लिये पिछली सरकार ने न तो समुचित संसाधन जुटाये और न ही इसको पूरा करने के लिये कोई इच्छा शक्ति प्रदर्शित की। नवीं पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष 1997-98 के लिये योजना 3 हजार 514 करोड़ 42 लाख रुपये की स्वीकृत कराई गयी थी जो बाद में बढ़कर 4 हजार 259 करोड़ 39 लाख रुपये की कर दी गई, लेकिन इसके पेटे कुल 3 हजार 987 करोड़ 35 लाख रुपये का ही खर्च बताया गया। इस खर्च में भी 747 करोड़ रुपये की राशि का लेखा समायोजन तो राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल के ऋण को इक्विटी में बदलने के लिये किया गया। अतः वास्तव में देखें तो योजना पर केवल 3 हजार 240 करोड़ 35 लाख रुपये ही खर्च हुए। नवीं योजना के दूसरे साल 1998-99 के लिये योजना 4 हजार 300 करोड़ रुपये की स्वीकृत कराई गई थी लेकिन पिछली सरकार ने आवश्यक ससाधन जुटाने के स्थान पर बजट पास होने के पश्चात् करों में 30 करोड़ रुपये की छूट दे दी। इसके अलावा ऊपर वर्णित आर्थिक मंदी के कारण भारत सरकार द्वारा 10वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत मिलने वाली राशि और अनुदान में लगभग 808 करोड़ रुपये की कमी आई। इन सब कारणों से वर्ष 1998-99 की योजना व्यय 3 हजार 300 करोड़ रुपये से अधिक करना कठिन था, लेकिन प्रदेश की प्रगति और विकास में बाधा न आये

(श्री चन्दनमल बैद)

इसको ध्यान में रखते हुए भारी प्रयास करके इस योजना को 4 हजार 78 करोड़ रुपये तक वर्तमान सरकार द्वारा बढ़ाया गया है।

10. नवीं योजना के तीसरे वर्ष की योजना बनाने का कार्य वर्तमान सरकार के जिम्मे आया। वर्तमान सरकार ने राज्य के लिए 5 हजार करोड़ रुपये की योजना का प्रस्ताव योजना आयोग को प्रस्तुत किया किन्तु भारत सरकार की वित्तीय स्थिति व अन्य कारणों से हमारी योजना के आकार को 4 हजार 750 करोड़ रुपये तक सीमित कर दिया गया। राजस्थान के विकास और प्रगति की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार ने यह उचित समझा है कि हम अपनी योजना को 5 हजार 22 करोड़ रुपये की रखें। 4 हजार 750 करोड़ रुपये की योजना के लिए हम पर 586 करोड़ रुपये के संसाधन जुटाने की जिम्मेदारी डाली गई थी। अब योजना को 272 करोड़ रुपये से और बढ़ाने के कारण हमारी संसाधन जुटाने की जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है।

11. आगामी वर्ष नवीं पंचवर्षीय योजना का तीसरा एवं मध्य वर्ष है। आगामी वर्ष की समाप्ति से पूर्व ग्यारहवें वित्त आयोग की रपट भी प्राप्त हो जायेगी। वर्तमान में संसाधनों की उपलब्धता में जो कमियां दृष्टिगत हो रही है उनको देखते हुए अतिरिक्त संसाधन जुटाने की व्यवस्था करना तो आवश्यक है ही, व्यय में नियंत्रण करना भी आवश्यक है। राज्य सरकार इस दिशा में कठोर कदम उठाने के लिए कटिबद्ध है। अनुत्पादक व्यय को कम किया जायेगा तथा ऐसे विभाग, राजकीय उपक्रम व योजनाएं बन्द की जायेंगी जिनका अब कोई महत्व अथवा उपादेयता नहीं रह गई है।

12. जैसा कि मेरे विभिन्न प्रस्तावों से स्पष्ट होगा, हम आगामी वर्ष में सामाजिक सुरक्षा के अन्तर्गत चिकित्सा सेवाओं के सुदृढ़ीकरण, विधवा, परित्यक्ता व निराश्रित महिलाओं व निःशक्तों के आर्थिक विकास व उनको स्वावलम्बी बनाने तथा शिक्षा के सार्वजनीकरण पर विशेष बल देंगे। इसके अतिरिक्त प्रशासन में विकेन्द्रीकरण की दृष्टि से पंचायती राज संस्थाओं व अन्य स्थानीय निकायों को अधिक शक्तियां देंगे।

13. मैं माननीय सदस्यों को अवगत करना चाहूंगा कि आगामी वर्ष में दूसरे राज्य वित्त आयोग का गठन किया जायेगा। यह आयोग शासन के विकेन्द्रीकरण के सम्बन्ध में सुझाव देगा जिससे कि पंचायती राज संस्थाओं व स्थानीय निकायों को अधिक प्रभावशाली बनाया जा सके। इसके साथ-साथ राज कोष से पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों को दी जाने वाली सहायता राशि के सम्बन्ध में भी यह अपने सुझाव देगा।

ग्यारवां वित्त आयोग :

14. माननीय सदस्य इस तथ्य से अवगत होंगे कि राष्ट्रपति जी ने 3 जुलाई, 1998 को एक अधिसूचना जारी कर ग्यारहवें वित्त आयोग का गठन किया है। इस आयोग के अध्यक्ष प्रख्यात अर्थशास्त्री

(श्री चन्दनमल बैद)

ए. एम. खुसरो है। वित्त आयोग का गठन राज्यों के लिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह आयोग राज्यों को केन्द्र के कर राजस्व में से दिये जाने वाले भाग के साथ-साथ अन्य अनुदान राशि भी प्रस्तावित करता है। राज्य सरकार आयोग के समक्ष अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने जा रही है जिससे राज्य की विषम वित्तीय स्थिति का उल्लेख करते हुए अधिक से अधिक सहायता राशि प्राप्त की जा सके। मै माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे इस सम्बन्ध में अपने सुझाव हमें दें।

आर्थिक सुधार :

15. माननीय सदस्य इस बात से परिचित है कि वर्ष 1990–91 में देश में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई थी। राज्य सरकार उदारीकरण और आर्थिक सुधारों के पक्ष में है और राज्य की आवश्यकताओं व प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए इन्हें लागू करेगी। राज्य के हित और जनसाधारण की सुविधा को ध्यान में रखते हुए निजी निवेश को बढ़ावा दिया जायेगा। जहां आवश्यक होगा नियमों और प्रक्रियाओं को और सरल बनाया जायेगा। इसी श्रृंखला में सर्वप्रथम सरकार ने निर्णय लिया है कि राज्य की ऋण लेने व राजकीय प्रत्याभूतियां जारी करने की एक सीमा निर्धारित की जाये। सीमा के निर्धारण के सम्बन्ध में उचित प्रस्ताव विधान सभा के इसी सत्र में प्रस्तुत किया जायेगा।

वार्षिक योजना :

16. आगामी वर्ष की योजना का आकार 5 हजार 22 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया हैं जो कि इस वर्ष की योजना के संशोधित आकार से 23.15 प्रतिशत अधिक है। संसाधनों की कमी के बावजूद भी प्रदेश के विकास हेतु हमने योजना के आकार को पर्याप्त बढ़ाया है। उत्पादन में बढ़ोतरी और रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने व शिक्षा के प्रसार, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, बिजली व सिंचाई परियोजनाओं को प्राथमिकता देते हुए पानी की उपलब्धता इस योजना के मुख्य लक्ष्य रखे गये हैं।

कृषि :

17. वर्ष 1999–2000 में 200 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में खरीफ व रबी की विभिन्न फसलों की बुवाई कर 126 लाख टन खाद्यान्न तथा 36 लाख टन तिलहन उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु 20 लाख टन रासायनिक उर्वरक एवं 4 लाख क्विंटल प्रमाणित व उन्नत बीज उपलब्ध कराये जाएंगे। कृषि व सम्बद्ध सेवाओं के लिए आगामी वर्ष में 278 करोड़ 34 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

18. राज्य में भूमिगत जल की निरंतर कमी को ध्यान में रखते हुए इसके कुशलतम उपयोग हेतु फव्वारा सिंचाई एवं बूंद-बूंद सिंचाई कार्यक्रम को अधिक महत्व दिया जायेगा। आगामी वर्ष में 20 हजार नये फव्वारा सैट्स लगाने हेतु अनुदान देने का लक्ष्य रखा गया है।

19. गांवों में कचरे को एकत्रित कर खाद के रूप में उपयोग लेने हेतु उन्नत तरीकों से विभिन्न प्रकार की कम्पोस्ट

(श्री चन्दनमल बैद)

खाद तैयार करवाने के लिए निर्मल ग्राम योजना प्रारम्भ की जायेगी जिसके लिए अगले वर्ष में 1 करोड़ 42 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

20. जल ग्रहण योजनाओं के अन्तर्गत अगले वर्ष में 128 करोड़ रुपये के कार्य हाथ में लेना प्रस्तावित है।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज :

21. लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण की भावना के अनुरूप पंचायती राज संस्थाओं को प्रशासनिक शक्तियां एवं आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराने के क्रम में जिला विकास अभिकरणों का समस्त प्रबन्ध जिला परिषदों को सौंपने की दिशा में पहला कदम उठाते हुए जिला प्रमुखों को जिला विकास अभिकरणों का अध्यक्ष बनाया गया है तथा जिला विकास अभिकरण के माध्यम से करवाई जाने वाली कुछ योजनाओं के क्रियान्वयन का भार भी जिला परिषदों को सौंपा जा रहा है।

22. पंचायती राज संस्थाओं को अतिरिक्त प्रशासनिक और तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध कराकर सुदृढ़ किया जायेगा ताकि विकास योजना का पूरा फल ग्रामीण जनता को मिल सके। आगामी वर्ष में 3 हजार से ऊपर ऐसी ग्राम पंचायतों में जिनमें अभी पृथक ग्राम सेवक नहीं है, प्रत्येक में ग्राम सेवक की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी। इसके लिए 3 करोड़ 50 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त राज्य में ग्रामीण अभियांत्रिकी सेवा का सृजन किया जायेगा।

23. राज्य में प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण की दृष्टि से ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी समस्त बस्तियों व स्थानों में जहां 40 बच्चे पढ़ने वाले हों प्राथमिक शिक्षा केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। प्रथम आकलन के अनुसार लगभग 16 हजार ऐसी बस्तियां हैं जहां प्राथमिक शिक्षा केन्द्र खोले जाने हैं। इन समस्त स्थानों पर सामुदायिक आधार पर जन सहयोग से भवन की व्यवस्था होते ही प्राथमिक शिक्षा केन्द्र स्थापित किये जाएंगे। इस योजना में वे प्राथमिक विद्यालय भी शामिल किये जायेंगे जो मान्यता प्राप्त संस्थाओं द्वारा चलाये जा रहे हैं। इन शिक्षा केन्द्रों का संचालन ग्राम पंचायत या मान्यता प्राप्त संस्थाओं के हाथ में होगा। इन केन्द्रों में ऐसे युवक एवं युवतियां अध्यापन कार्य पर लगाये जायेंगे जो उसी क्षेत्र के स्थानीय निवासी हों, जिनकी समाज सेवा में रुचि हो व जो कम से कम 8वीं कक्षा पास होने की आवश्यक अर्हता रखते हों। अध्यापन का उत्तरदायित्व उठाने वाले इन समाजसेवियों को 12 सौ रुपया प्रति माह मानदेय के रूप में देय होगा। अगर कोई पंचायत या मान्यता प्राप्त संस्था इससे ज्यादा भुगतान करती है तो उसका भार वह संस्था स्वयं वहन करेगी। शिक्षित महिलाओं, विशेष रूप से विधवा और परित्यक्ता महिलाओं को नियुक्ति में प्राथमिकता दी जायेगी। इन केन्द्रों को यह छूट होगी कि विद्यार्थियों की संख्या बढ़ने पर अध्यापकों की संख्या को बढ़ा सकें। ऐसे केन्द्रों में शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम पढ़ाये जाने की अनिवार्यता होगी। इन केन्द्रों पर पढ़ने वाले बच्चों को राज्य सरकार पुस्तकें निःशुल्क देगी तथा ब्लैक-

(श्री चन्दनमल बैद)

बोर्ड, कुर्सी-टेबल, टाट-पट्टी का प्रबंध तथा भवन के रख-रखाव आदि अन्य व्यवस्थाओं के लिए कुल 8 हजार रुपये तक का एक मुश्त अनुदान दिया जायेगा। आगामी वर्ष में इन केन्द्रों हेतु 25 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि अनुदान के रूप में पंचायतों को उपलब्ध कराई जायेगी। राज्य में मान्यता प्राप्त 619 मदरसे जिनके भवन जीर्णशीर्ण अवस्था में है और जिनमें आधारभूत अन्य शैक्षणिक सुविधाएं जैसे टाट-पट्टी, बोर्ड व टेबिल कुर्सियां आदि उपलब्ध नहीं है, भी इस योजना से लाभान्वित होंगे। इसी क्रम में यदि कोई अन्य मान्यता प्राप्त संस्था भी यह योजना अपनाती है तो वह भी अनुदान प्राप्त करने की हकदार होगी।

24. राज्य वित्त आयोग के अवार्ड के तहत पंचायती राज संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु वर्ष 1999–2000 में 77 करोड़ 67 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। दसवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में पंचायती राज संस्थाओं को अगले वर्ष 53 करोड़ 6 लाख रुपये उपलब्ध कराये जायेंगे इसके अतिरिक्त विशिष्ट योजना संगठन के माध्यम से ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं हेतु 202 करोड़ 80 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

25. संविधान के 74वें संशोधन के अनुसार राज्य में पंचायत चुनाव आगामी वर्ष में कराये जायेंगे जिसके लिए 27 करोड़ 90 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

26. माननीय विधान सभा सदस्यगणों द्वारा विभिन्न विकास कार्य स्वयं के स्तर पर निर्णय कर कराने हेतु प्रति सदस्य 10 लाख रुपये के वर्तमान प्रावधान को क्या करूं ? बढ़ा दूं ? बढ़ाकर 20 लाख रुपये किये जाना प्रस्तावित है।

अनेक माननीय सदस्य : हां हां, बढ़ा दो।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : इसको 50 लाख करो।

श्री चन्दनमल बैद : इस हेतु मैं आगामी वर्ष में 40 करोड़ रुपये का प्रावधान रखना प्रस्तावित करता हूं।

पशुपालन :

27. राज्य की ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था में पशुपालन की महत्वपूर्ण भूमिका है। लघु व सीमान्त किसानों, कृषि श्रमिकों एवं ग्रामीणों की बहुत बड़ी संख्या लाभप्रद रोजगार हेतु पशुधन पर आश्रित है। आगामी वर्ष में पशु चिकित्सालय एवं नस्ल सुधार गतिविधियों के विस्तार करने के उद्देश्य से 100 नवीन पशु चिकित्सालय खोलने का लक्ष्य रखा गया है जिसके लिए 3 करोड़ 30 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है। इसके अतिरिक्त 400 नवीन पशु चिकित्सा उप केन्द्रों की स्थापना भी की जायेगी जिसके लिए 5 करोड़ 20 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है।

28. पशुपालन के लिए अगले वर्ष 101 करोड़ 38 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है जो चालू वर्ष के बजट अनुमानों से 18 करोड़ 10 लाख रुपये अधिक है।

(श्री चन्दनमल बैद)

सहकारिता :

29. आगामी वर्ष में ग्राम सेवा सहकारी समितियों से ऋण प्राप्त करने वाले सभी कृषक सदस्यों को "सहकारी किसान कार्ड" से ऋण वितरण की व्यवस्था की जाएगी। आदिवासी क्षेत्रों में छोटे काश्तकारों को बिचौलियों के शोषण से बचाने के लिए "राजफैड" के माध्यम से कृषि उपज की खरीद की व्यवस्था की जायेगी।

30 राज्य में वर्ष 1999-2000 में किसानों को 900 करोड़ रुपये के फसली सहकारी ऋण उपलब्ध कराने के प्रयास के साथ ही दीर्घकालीन कृषि सुधार कार्यों के लिए भूमि विकास बैंक के माध्यम से किसानों को अगले वर्ष में 250 करोड़ रुपये के दीर्घकालीन सहकारी ऋण उपलब्ध कराने के प्रयास किये जायेंगे।

सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण :

31 आगामी वित्तीय वर्ष में इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र को छोड़कर 28 हजार 700 हैक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता अर्जित करने का लक्ष्य रखा गया है जिसके लिए 536 करोड़ 76 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

32. अगले वित्तीय वर्ष में सोम-कमला-अम्बा व परवन लिफ्ट एवं 40 लघु सिंचाई परियोजनाएँ पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है।

33. राज्य में जल संसाधन विकास की दीर्घकालीन योजना बनाने की दृष्टि से अगले वर्ष "राज्य जल नीति" जारी किया जाना प्रस्तावित है।

इन्दिरा गांधी नहर परियोजना :

34. माननीय सदस्य इस बात से परिचित है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना राज्य की मरुगंगा है एवं प्रदेश की जीवन रेखा है। इस परियोजना के लिए अगले वर्ष में 227 करोड़ 85 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है। इस परियोजना क्षेत्र में चालू वर्ष के अन्त तक कुल 10 लाख 88 हजार हैक्टेयर भूमि में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता अर्जित होगी। अगले वर्ष में 330 कि.मी लम्बी पक्की नहरों का निर्माण कर 50 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता सृजित की जायेगी।

सिंचित क्षेत्र विकास :

35. इंदिरा गांधी नहर परियोजना चम्बल एवं माही परियोजनाओं में सिंचित क्षेत्र विकास के अन्तर्गत अगले वर्ष 84 हजार 500 हैक्टेयर क्षेत्र में खालों का निर्माण कराया जायेगा। इन कार्यों के लिए वर्ष 1999-2000 में 135 करोड़ 7.9 लाख रुपयों का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

उपनिवेशन :

36. राज्य की इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना के अन्तर्गत विकसित सिंचित क्षेत्रों में लगभग 3 लाख 57 हजार हैक्टेयर विकसित भूमि आवंटन के लिये उपलब्ध हैं। पिछले वर्षों में बहुत कम आवंटन होने से इसका सदुपयोग नहीं हो पाया तथा इसके परिणामस्वरूप राज्य एवं

(श्री चन्दनमल बैद)

बहुत से परिवार जिनको प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष लाभ होता व रोजगार प्राप्त होता उससे वंचित रहे हैं। अतः एक समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार अभियान चलाकर इस भूमि का सामान्य व विशिष्ट आवंटन किया जाना प्रस्तावित है।

पेयजल :

37. राज्य के प्रत्येक गाँव एवं बस्ती में पेयजल उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है। अगले वित्तीय वर्ष में 6 हजार गाँवों, बस्तियों एवं ढाणियों में पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।

श्री राधेश्याम गंगानगर (गंगानगर) : गंग कैनाल को भूल गये आप, गंग कैनाल।

श्री चन्दनमल बैद : जिसके लिए 1 हजार 112 करोड़ 58 लाख रुपये व्यय किया जाना प्रस्तावित है।

38. प्रदेश के कुछ जिले फ्लोराइड एवं खारे पानी की समस्या से प्रभावित हैं। इसके निदान हेतु अत्यधिक फ्लोराइड एवं खारे पानी से ग्रस्त गाँवों की ओर विशेष ध्यान देते हुए पेयजल योजनाएँ बनाई जायेंगी।

39. अगले वर्ष विशेष केन्द्रीय सहायता कार्यक्रम के तहत जयपुर, जोधपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर एवं भीलवाड़ा शहरों की जल वितरण प्रणाली में सुधार एवं उच्च जलाशय निर्माण के कार्य हाथ में लिए जायेंगे। इसके साथ ही तीन स्थानों पर गन्दे पानी के शुद्धिकरण हेतु ट्रीटमेन्ट प्लान्ट्स का निर्माण भी किया जायेगा।

वन :

40. वर्ष 1999-2000 के दौरान राज्य में वनों के विकास के लिए सरकार द्वारा राज्य योजना में 174 करोड़ 28 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है। इसमें से 152 करोड़ 73 लाख रुपये ओ.ई.सी.एफ. जापान की सहायता से क्रियान्वित की जा रही अरावली वृक्षारोपण परियोजना, वानिकी विकास परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना एवं प्रस्तावित अरावली परियोजना द्वितीय चरण के लिए है।

41. अरावली वृक्षारोपण परियोजना के सफल क्रियान्वयन के पश्चात् 555 करोड़ रुपये लागत की अरावली परियोजना द्वितीय चरण तैयार की गई है। इस परियोजना हेतु वर्ष 1999-2000 के लिए 72 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है।

42. राज्य में वर्ष 1999-2000 में विभिन्न राज्य योजनाओं एवं केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के अन्तर्गत लगभग 30 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जायेगा।

सड़कें :

43. सड़कें विकास का प्रमुख माध्यम है। अगले वर्ष सड़को के निर्माण, रखरखाव, सुदृढ़ीकरण आदि हेतु 515 करोड़ 84 लाख रुपयों का प्रावधान प्रस्तावित है।

44. आगामी वर्ष 1 हजार 350 कि.मी. सड़कों का निर्माण कर 265 पंचायत मुख्यालयों को सड़कों से जोड़ा जायेगा।

45. इसके अतिरिक्त कृषि उपज मंडी समितियों, कृषि विकास परियोजना एवं

(श्री चन्दनमल बैद)

अन्य विभागीय योजनाओं के माध्यम से राज्य में 2 हजार किलोमीटर लंबी सड़कें बनाई जायेंगी जिसके लिये 250 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान प्रस्तावित है।

46. वर्ष 1999-2000 में विश्व बैंक की सहायता से राज्य में हाइवे परियोजना शुरू किया जाना प्रस्तावित है जिसके लिए 110 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जा रहा है।

47. माननीय सदस्य प्रदेश की सड़कों की दशा से परिचित एवं चिन्तित हैं। सड़कों का उचित रख-रखाव हमारी प्राथमिकता है। अगले वित्तीय वर्ष में सड़कों के सुदृढ़ीकरण, पुनरुद्धार, तकनीकी उच्चीकरण एवं विशेष मरम्मत के लिए मैटिरियल कम्पोनेंट के तहत चालू वर्ष के प्रावधान 95 करोड़ 50 लाख रुपये के दो गुना कर अगले वर्ष 191 करोड़ रुपये किया जाना प्रस्तावित है। इसके अलावा मजदूरी व्यय हेतु 36 करोड़ 61 लाख रुपये का प्रावधान भी प्रस्तावित है। इससे 6 हजार 255 कि.मी. सड़कों का सुदृढ़ीकरण एवं अनुरक्षण किया जा सकेगा।

उद्योग :

48. आधारभूत संरचना विकास के क्षेत्र में रीको द्वारा राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) के सहयोग से जोखिम पूंजी कोष स्थापित किये जाने हेतु रीको एवं राज्य सरकार ने वांछित आधारभूत एवं नीतिगत सहयोग प्रदान करने का निश्चय किया हैं।

49. राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में खादी एवं ग्रामोद्योग का महत्त्वपूर्ण स्थान स्वीकारते हुए कांग्रेस के घोषणा पत्र में खादी एवं ग्रामोद्योग के माध्यम से रोजगार सृजन हेतु नये कार्यक्रम प्रारम्भ करने का मंतव्य व्यक्त किया गया है। आगामी वर्ष में खादी उत्पादन में 50 करोड़ रुपये एवं ग्रामोद्योग में 450 करोड़ रुपये तक के उत्पादन हेतु प्रयास किये जायेंगे। आगामी वित्तीय वर्ष में 37 हजार अतिरिक्त व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। इसी परिप्रेक्ष्य में लघु उद्योग प्रोत्साहन हेतु आगामी वर्ष में 5 करोड़ रुपये का रिवाल्विंग फण्ड (Revolving Fund) स्थापित करने का प्रस्ताव है, जिसमें 3 करोड़ 56 लाख रुपये की राशि ऋण के रूप में तथा 1 करोड़ 44 लाख रुपये अनुदान के रूप में है। इसमें छोटी से छोटी ग्रामीण उद्योग इकाई को भी यह ऋण/सहायता सुलभ हो सकेगी। विभिन्न संस्थाओं एवं समितियों को कार्यकारी ऋण व पूंजीगत राशि प्रदान कर 5 हजार पूर्णकालीन व 6 हजार अंशकालीन रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा।

50. 'युवाओं के प्रशिक्षण एवं रोजगार' कार्यक्रम के अन्तर्गत खादी बोर्ड द्वारा सांगानेर एवं पुष्कर में एक-एक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किया जायेगा। इस पर अगले वर्ष में 6 करोड़ रुपये व्यय किया जाना प्रस्तावित है। इन प्रशिक्षण केन्द्रों में 400 व्यक्ति प्रतिवर्ष प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे।

51. औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहन दिये जाने हेतु एक नवीन ब्याज

(श्री चन्दनमल बैद)

अनुदान योजना (Intered, Subsidy Scheme) प्रारम्भ की जा रही है, जिसके लिए वर्ष 1999–2000 में 3 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। इसमें औद्योगिक इकाइयों को बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से दीर्घकालीन ऋण लेने पर 2 प्रतिशत की दर से ब्याज सहायता उपलब्ध कराई जायेगी।

पर्यटन, कला एवं संस्कृति :

52. राजस्थान में पर्यटन की विपुल संभावनाएं है। अतः पर्यटन प्रोत्साहन के कार्यक्रमों/गतिविधियों हेतु विशेष राशि के प्रावधान का प्रस्ताव किया गया है। इस वर्ष के प्रावधान 16 करोड़ 74 लाख रुपये को बढ़ाकर अगले वर्ष 23 करोड़ 3 लाख रुपये किया जाना प्रस्तावित है।

53. राज्य के धार्मिक स्थलों का जो कि जन साधारण की धार्मिक श्रद्धा व आस्था के प्रतीक हैं एवं पर्यटन की दृष्टि से उपयुक्त हैं, विकास/विस्तार कराया जाना प्रस्तावित है। औसियां मंदिर जोधपुर के विकास कार्य हेतु 20 लाख रुपये व्यय किया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त नाथद्वारा, पुष्कर, सालासर व विराटनगर में 20–20 लाख रुपये व्यय कर विभिन्न कार्य करवाये जायेंगे।

54. आगामी वर्ष को राज्य की स्थापना के स्वर्ण जयन्ती वर्ष के रूप में मनाया जायेगा व इस दौरान राजस्थान की कला एवं संस्कृति के प्रोत्साहन हेतु एवं लुप्त कलाओं के संवर्धन एवं प्रलेखन तथा ऐतिहासिक स्मारकों के जीर्णोद्धार एवं संरक्षण हेतु सांस्कृतिक कार्यक्रमों एवं वर्कशॉप/सेमीनार आदि का आयोजन किया जायेगा। इस प्रयोजनार्थ कुल 2 करोड़ 31 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। संग्रहालय भवनों के संरक्षण, पुनरुद्धार एवं मरम्मत कार्यों हेतु 110 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है जिसमें केन्द्रीय संग्रहालय, अल्बर्ट हाल, जयपुर के विशेष संरक्षण, रखरखाव एवं नवीनीकरण हेतु आगामी वर्ष में 1 करोड़ रुपये निश्चित किये गये हैं।

स्थानीय निकाय एवं नगरीय विकास :

55. शहरी क्षेत्रों में इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास हेतु सरकारी क्षेत्रों के साथ-साथ निजी क्षेत्र के निवेश को आकर्षित करने हेतु फ्लाइओवर व सड़कों का निर्माण BOT व BOOT प्रणाली से कराया जाना प्रस्तावित है। इसके अलावा शहरों में इसी सिद्धान्त पर बहुमंजिला इमारतें बनवाने पर विचार किया जायेगा।

56. अगले वित्तीय वर्ष में नगरपालिका क्षेत्रों की कच्ची बस्तियों में मूलभूत नागरिक सुविधाएँ उपलब्ध कराने हेतु 13 करोड़ 45 लाख रुपये व्यय किये जायेंगे।

57 स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के तहत गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले 5 हजार 680 परिवारों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु अगले वर्ष 16 करोड़ रुपये व्यय किया जाना प्रस्तावित है।

(श्री चन्दनमल बैद)

58. अगले वर्ष नगर पालिकाओं को राज्य वित्त आयोग एवं दसवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में कुल 36 करोड़ 35 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिया जाएगा। साथ ही उनको संस्थापन व्यय तथा विकास कार्यों हेतु विशेष अनुदान के साथ 320 करोड़ 66 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है।

न्याय एवं कानून व्यवस्था :

59. आगामी वर्ष 30 नवीन न्यायालयों का सृजन किया जायेगा जिसके लिए 1 करोड़ 20 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

60. राज्य सरकार प्रदेश में कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने के प्रति कटिबद्ध है। इस हेतु पुलिस पुनर्गठन योजना के तहत अगले वर्ष 20 करोड़ रुपये का विशेष प्रावधान प्रस्तावित है। इससे राज्य में अधिक थाने, चौकियां एवं वृत्त खोले जाएंगे ताकि अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके।

61. यह आम शिकायत है कि थानों में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने हेतु स्टेशनरी उपलब्ध नहीं होती है। इस कमी को दूर करने की दृष्टि से अगले वर्ष स्टेशनरी हेतु 1 करोड़ 50 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

विद्युत :

62. किसान भाइयों को रबी के मौसम में 8 घंटे बिजली देने के वायदे को सरकार ने निभाया है। अतिरिक्त बिजली की खरीद के लिये विद्युत मण्डल को 30 करोड़ रुपये प्रतिमाह का विशेष नकद अनुदान दिया जा रहा है। इस निर्णय से राज्य में इस वर्ष रबी की भरपूर फसल होने की आशा है। सरकार द्वारा नर्सरी योजना को भी समाप्त कर दिया गया है किन्तु ऐसे आवेदकों को जिनसे विद्युत मण्डल द्वारा राशि वसूल कर ली गई है, दिनांक 31 मार्च, 1999 तक कनेक्शन देने के यथा-सम्भव प्रयास किये जा रहे हैं। अगले वित्तीय वर्ष से राज्य में नई कृषि कनेक्शन नीति लागू की जायेगी जिसके अन्तर्गत सामान्य आवेदकों को वांछित प्राथमिकता दी जायेगी।

63. प्रदेश में विद्युत की उपलब्धि व मांग के अन्तर को कम करने के लिए सरकार की नीति पूर्णतया निजी क्षेत्र पर ही आश्रित रहने की नहीं है। सूरतगढ़ ताप विद्युत गृह की पहली इकाई ने नियमित उत्पादन आरम्भ कर दिया है। इस विद्युत गृह की दूसरी इकाई पर द्रुत गति से कार्य हो रहा है और इसके अक्टूबर, 2000 में आरम्भ होने की सम्भावना है।

64. सूरतगढ़ ताप विद्युत् गृह के द्वितीय चरण में 250 मेगावाट की दो इकाइयाँ लगाई जायेंगी। इस परियोजना की आर्थिक व तकनीकी स्वीकृति शीघ्र ही प्राप्त होने की सम्भावना है।

65. राज्य में निजी क्षेत्र में स्थापित की जाने वाली विद्युत परियोजनाओं से सम्बन्धित विभिन्न समस्याओं को सुलझाने हेतु मंत्रिमण्डलीय समिति के स्तर पर विचार किया गया है। संशोधित शर्तों पर नेप्था पर आधारित परियोजनाओं के

(श्री चन्दनमल बैद)

लिए 3 कम्पनियों ने अपनी सहमति जताते हुए सिक्योरिटी के रूप में बैंक गारण्टी जमा करा दी है। लिग्नाइट आधारित बरसिंगसर परियोजनाओं की स्वीकृति हेतु भी भारत सरकार को राज्य सरकार की अनुशंसा प्रेषित करने हेतु निर्णय ले लिया गया है। आशा है निजी उत्पादकों द्वारा वित्तीय संस्थाओं से वित्त प्रबन्धन (Financial Closure) होने पर, वे शीघ्र विद्युत परियोजनाओं का क्रियान्वयन आरम्भ कर देंगे।

66. राज्य में पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराने, निजी निवेश को आकृष्ट करने, उपभोक्ता सेवाओं को सन्तोषजनक बनाने तथा उन्हें उचित दर पर पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराने हेतु व्यापक सुधारों की आवश्यकता है। इन सुधारों की दिशा में पूरे देश में एक आम सहमति बन रही है। इस परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार भी सुधारों के विभिन्न विकल्पों पर सक्रियता से विचार कर रही है। हाल ही में प्रदेश में राज्य विद्युत नियामक आयोग बनाने का निर्णय ले लिया गया एवं ऐसी अपेक्षा है कि इसका गठन शीघ्र ही हो जायेगा। सुधार की दिशा में कुछ निर्णय निकट भविष्य में कठोर अवश्य हो सकते हैं किन्तु यह अपेक्षा है कि इनसे विद्युत क्षेत्र में आशानुरूप सुधार होगा तथा प्रदेश प्रगति के पथ पर तेजी से अग्रसर हो सकेगा। इस चुनौतीपूर्ण कार्य में राज्य सरकार को सभी वर्गों से भरपूर सहयोग की आशा है।

67. आगामी वर्ष में ग्रामीण विद्युतीकरण के अन्तर्गत 700 ग्रामों का विद्युतीकरण एवं 30 हजार कुओं का ऊर्जीकरण किये जाने का लक्ष्य रखा गया है। विद्युत क्षेत्र में योजनान्तर्गत 948 करोड़ 80 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

जनजाति क्षेत्रीय विकास :

68. आगामी वर्ष राज्य में जनजाति विकास की महाराष्ट्र प्रणाली लागू की जायेगी। प्रारम्भ में 13 विभागों की राज्य आयोजना मद की 8 प्रतिशत राशि का एक जनजाति विकास कोष बनाया जायेगा। विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं पर व्यय की जाने वाली राशि का निर्धारण सम्बन्धित विभागों से चर्चा करने के पश्चात् जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा प्राथमिकता के आधार पर किया जायेगा।

69. आश्रम छात्रावासों में रहने वाले छात्रों को भोजन, वस्त्र एवं अन्य सुविधाओं हेतु दी जाने वाली राशि समाज कल्याण विभाग की दरों के अनुरूप 350 रुपये से बढ़ाकर 675 रुपये प्रति छात्र प्रति माह किया जाना प्रस्तावित है।

70. जनजाति उप योजना क्षेत्र में अगले वर्ष विपणन एवं बिक्री प्रशिक्षण हेतु 10 लाख रुपये, तपेदिक नियंत्रण हेतु 143 लाख रुपये और फ्लोरोसिस नियंत्रण हेतु 30 लाख रुपये व्यय किये जाने का प्रस्ताव है।

71. सिंचाई सुविधा के विस्तार हेतु जनजाति उपयोजना क्षेत्र में 20 सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई योजनाओं का क्रियान्वयन व 12 एनीकटों का निर्माण तथा 285 डीजल पम्प सेटों का वितरण किया जायेगा। गैर उपयोजना क्षेत्र में 7

(श्री चन्दनमल बैद)

सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई योजनाओं के क्रियान्वयन 9 एनीकटों के निर्माण तथा 270 डीजल पम्प सेटों के वितरण हेतु वित्तीय प्रावधान किया गया है ।

72. जनजाति उपयोजना क्षेत्र में 66 जनजाति बस्तियों का एवं 2 हजार 968 कृषि कुओं का विद्युतीकरण किया जाएगा ।

73. दस आश्रम छात्रावासों के निर्माण हेतु 1 करोड़ 66 लाख 85 हजार रुपये का प्रावधान किया गया है ।

74. केन्द्र सरकार द्वारा पंचायतों के प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम 1996 के लागू हो जाने से ग्राम जनजातियों के रीति-रिवाजों, सांस्कृतिक पहचान एवं सामुदायिक संसाधनों की प्रभावी सुरक्षा हो सकेगी तथा ग्राम सभाओं एवं पंचायतों को अधिक शक्तियां प्रदान कर सशक्त किया जायेगा । ग्राम पंचायतें स्वायत्त सरकार की भांति कार्य कर सकेंगी ।

महिला एवं बाल विकास :

75. हमारे समाज में महिलाओं को अभी भी अपेक्षित स्थान नहीं मिल पाया है । हमारी सरकार असहाय महिलाओं हेतु आवश्यक वातावरण विकसित करना चाहती है ताकि इनकी स्थिति बेहतर हो सके व ये अपने पैरों पर खड़ी होकर राज्य के विकास में भागीदार बन सकें ।

76. विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता एवं अन्य पीड़ित महिलाओं को स्वावलम्बी बनाने के उद्देश्य से खादी व ग्रामोद्योग के माध्यम से स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी । इस हेतु आगामी वर्ष में 3 करोड़ रुपयों का प्रावधान प्रस्तावित है ।

77. महिला सामर्थ्य योजना के नाम से विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता एवं निराश्रित महिलाओं के लिए एक नई योजना आरम्भ करने का प्रस्ताव है । इस योजना का उद्देश्य उन्हें जीवन यापन के लिए विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाना है । ऐसी महिलाओं के प्रशिक्षण की व्यवस्था जिला महिला विकास अभिकरणों द्वारा की जायेगी । इसके अतिरिक्त समाज कल्याण विभाग द्वारा इन महिलाओं को योग्यता के अनुरूप स्वयं की इकाई स्थापित करने के लिए आवश्यक संसाधन व उपकरण इत्यादि क्रय करने हेतु 5 हजार रुपये की सहायता उपलब्ध करवाई जायेगी । आवश्यकता होने पर लागत की शेष राशि वित्तीय संस्थाओं से ऋण के रूप में उपलब्ध करवाई जायेगी । इन दोनों योजनाओं हेतु 62 लाख 45 हजार रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है । साथ ही पशुपालन के माध्यम से महिलाओं को स्वरोजगार के लिए सक्षम बनाने के उद्देश्य से महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करने की एक योजना टोंक से आरम्भ की जायेगी । आगामी वर्ष इसके लिए 6 लाख 50 हजार रुपये का प्रावधान रखा गया है ।

78. निःशक्त महिलाओं के विवाह को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से सामूहिक विवाह आयोजित कराने वालों को, कम से कम दो ऐसे जोड़ों का विवाह कराने पर

(श्री चन्दनमल बैद))

जिनमें महिला विकलांग हो, प्रति दम्पति 1 हज़ार रुपये और दम्पति को 4 हजार रुपये की राशि महिला व बाल विकास विभाग द्वारा दिया जाना प्रस्तावित है। चूंकि विवाह के मामले में बहुत मामूली विकलांगता भी बड़ी बाधा सिद्ध होती है इसलिए सामूहिक विवाह के उद्देश्य से विकलांग की परिभाषा परिवर्तित की जायेगी। इस हेतु 30 लाख रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

79 55 वर्ष से अधिक आयु की वृद्ध महिलाओं को समाज कल्याण विभाग द्वारा दी जाने वाली वर्तमान पेंशन की राशि को दुगुना कर 200 रुपये प्रतिमाह किया जायेगा। इस हेतु 6 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान प्रस्तावित है।

80. विधवा व निराश्रित महिलाओं की पेंशन राशि को 125 रुपये से बढ़ाकर 200 रुपये प्रतिमाह किया जायेगा जिसके लिए 5 करोड़ 50 लाख रुपये का अतिरिक्त प्रावधान प्रस्तावित है।

81. महिलाओं को उद्यम लगाने हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से महिला उद्यमियों को 'ब्याज अनुदान योजना' के अन्तर्गत 1 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट दी जायेगी। इसके अतिरिक्त 'रीको' द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में महिला उद्यमियों के लिये भूमि आवंटन में आरक्षण सीमा को 2 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है।

82. महिला उद्यमियों को तकनीकी प्रशिक्षण के अतिरिक्त उद्यम स्थापित करने के लिये भूमि आवंटन एवं अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने की व्यवस्था भी की जायेगी।

83. राज्य में महिला विकास को गति देने के उद्देश्य से एक महिला विकास निगम स्थापित करने का प्रस्ताव है। यह निगम महिलाओं को अपने स्वयं के उद्यम स्थापित करने के लिये प्रेरित करने के उद्देश्य से प्रोजेक्ट्स तैयार करवायेगा, प्रशिक्षण की व्यवस्था करेगा तथा वित्त व्यवस्था भी करेगा। इस निगम की स्थापना से महिलाओं को एक ही स्थान पर सभी प्रकार की सुविधाएं प्राप्त हो जायेंगी। इस हेतु अगले वर्ष 2 करोड़ रुपये की अंश पूंजी दिया जाना प्रस्तावित है।

समाज कल्याण :

84. सरकार समाज के कमजोर वर्गों एवं निःशक्त व्यक्तियों के कल्याण को सर्वोपरि महत्व देती है। अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्र/छात्राओं को अधिकाधिक शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की दृष्टि से राज्य में 50 नये छात्रावास खोले जायेंगे, जिनके माध्यम से 1 हजार 250 छात्र/छात्राओं को अतिरिक्त आवासीय सुविधाएं उपलब्ध करवाई जायेंगी। इस हेतु 1 करोड़ 25 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

85. अन्य पिछड़े वर्गों के छात्र/छात्राओं के कल्याण हेतु राज्य सरकार विशेष ध्यान देगी। शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने की दृष्टि से सभी संभाग मुख्यालयों पर एक-एक आवासीय विद्यालय निर्मित करवाया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सहयोग से अन्य पिछड़े

(श्री चन्दनमल बैद)

वर्ग के छात्र/छात्राओं हेतु 7 नये छात्रावास भवनों का भी निर्माण कराये जाने का प्रस्ताव है। इस हेतु 7 करोड़ 31 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

86. दसवीं कक्षा से ऊपर की कक्षाओं में अध्ययनरत कमजोर वर्ग की छात्राओं हेतु आवासीय सुविधाओं का नितान्त अभाव है। अतः राज्य सरकार द्वारा सभी संभागों में उत्तर मैट्रिक कक्षाओं की छात्राओं हेतु छात्रावासों का निर्माण एवं संचालन किया जायेगा, जिसके लिये 1 करोड़ 65 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

87. राजकीय छात्रवासों के अपने भवनों की कमी को ध्यान में रखते हुए आगामी वर्ष 50 नये छात्रावास भवनों का निर्माण करवाये जाने का प्रस्ताव है। इस हेतु 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

88. अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों की भाँति, समान दर पर गाड़िया-लुहारों के बच्चों को भी पूर्व मैट्रिक एवं उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है।

89. गाड़िया लुहारों को स्थायी रूप से बसने के लिए प्रेरित करने हेतु आवास निर्माण के लिए इंदिरा आवास योजना की इकाई लागत के अनुरूप 17 हजार 500 रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।

90. आगामी वर्ष में निःशक्त व्यक्तियों को उनकी आवश्यकतानुसार सरकारी तथा गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से विशेषज्ञों की सेवाएँ लेते हुये कृत्रिम अंग एवं उपकरण उपलब्ध करवाने हेतु शिविर आयोजित करवाये जायेंगे। इस हेतु 1 करोड़ 47 लाख रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। इससे लगभग 15 हजार व्यक्ति लाभान्वित होंगे।

91. पोलियो करेक्शन शिविरों को वृहद स्तर पर आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु चालू वर्ष के 5 लाख रुपये के प्रावधान को बढ़ाकर आगामी वर्ष में 50 लाख रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

92. निःशक्त व्यक्तियों को स्वावलम्बी बनाने हेतु आगामी वर्ष स्वरोजगार की एक नई अभिनव योजना प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है, जिसके अन्तर्गत निःशक्त व्यक्तियों को स्वयं का धंधा करने के लिये प्रेरित किया जायेगा। इस हेतु 5 हजार रुपये की सहायता राशि उपलब्ध करवाई जायेगी तथा आवश्यकता होने पर शेष राशि वित्तीय संस्थाओं से ऋण के रूप में उपलब्ध करवाई जायेगी। इस हेतु 50 लाख रुपये का प्रवधान किया जाना प्रस्तावित है।

93. निःशक्त व्यक्तियों की पेंशन राशि को 125 रुपये से बढ़ाकर 200 रुपये प्रतिमाह किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु 2 करोड़ 80 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय होगा।

94. वर्ष 1999 को अन्तर्राष्ट्रीय वृद्धावस्था वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इसी क्रम में राज्य के वरिष्ठ नागरिकों

(श्री चन्दनमल बैद)

की सेवा-शुश्रूषा एवं उचित देखभाल के लिए 25 नये डे-केयर सेन्टर स्थापित किये जायेंगे। इस हेतु 37 लाख 50 हजार रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

95. 65 वर्ष से अधिक आयु के निराश्रित वृद्धों की वर्तमान पेंशन की राशि को दुगुना कर 200 रुपये प्रतिमाह व निराश्रित वृद्ध दंपतियों की 150 रुपये प्रतिमाह की पेंशन को भी दुगुना कर 300 रुपये प्रतिमाह किये जाने का प्रस्ताव है जिस पर 9 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय होगा। किसी भी वृद्ध व्यक्ति द्वारा सक्षम अधिकारी के सम्मुख स्वयं यह घोषणा करने पर कि उसके बच्चे उसका पालन पोषण नहीं करते हैं, यह पेंशन स्वीकृत की जा सकेगी।

96. राजस्थान अनुसूचित जाति/जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम को प्रदत्त बैंक गारंटी जो कि वर्तमान में कुल मिलाकर 9 करोड़ रुपये है को तीन गुना किया जायेगा। इसके फलस्वरूप इस निगम के माध्यम से अनुसूचित जाति/जनजाति के अतिरिक्त निःशक्त व्यक्तियों व सफाई कर्मचारियों को भी आर्थिक संसाधन उपलब्ध हो सकेंगे।

97. समाज कल्याण विभाग द्वारा सचालित व अनुदानित छात्रावासों एवं अन्य गृहों में आवास कर रहे बच्चों को 450 रुपये प्रतिमाह प्रति छात्र की दर से राशि स्वीकृत है। इस राशि में 225 रुपये की वृद्धि कर इसे 675 रुपये प्रति छात्र प्रति माह किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु 6 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

98. अनुदानित एवं राजकीय छात्रावासों में रहने वाले छात्र व छात्राओं की विशेष कोचिंग हेतु 200 रुपये प्रति विषय प्रतिमाह की राशि को बढ़ाकर जयपुर में 1 हजार रुपये, संभाग मुख्यालयों पर 750 रुपये तथा अन्य स्थानों पर 500 रुपये प्रति विषय प्रति माह करना प्रस्तावित है। इस हेतु आगामी वर्ष में 30 लाख रुपये का अतिरिक्त प्रावधान करना प्रस्तावित है।

99. माननीय सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि आगामी वर्ष में महिलाओं, निःशक्त व वृद्ध व्यक्तियों तथा समाज के कमजोर वर्ग के छात्र व छात्राओं के लिए विभिन्न योजनाओं में हमने इस बजट में लगभग 86 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया है।

अल्प संख्यक विकास :

100. राज्य में अल्प संख्यक आयोग को और अधिक प्रभावी व हितकारी बनाने के लिए इसके अन्तर्गत एक वित्त प्रकोष्ठ भी बनाये जाने का प्रस्ताव है। यह प्रकोष्ठ राज्य के अल्प संख्यक समुदाय के दस्तकारों, कारीगरों एवं अन्य लघु उद्यमियों को अपने व्यवसाय स्थापित करने अथवा बढाने के लिए आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध करायेगा। इसके लिए 3 करोड़ रुपये की राशि का प्रारम्भिक कोष बनाया जायेगा। इसमें राज्य सरकार आवश्यक अंशदान देकर केन्द्र सरकार का अंशदान भी प्राप्त करेगी। सरकार द्वारा ऋण उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक राजकीय

(श्री चन्दनमल बैद)

गारन्टी देने का भी निर्णय कर लिया गया है।

पिछड़ी जाति विकास :

101. राज्य की पिछड़ी जातियों के दस्तकारों, कारीगरों एवं अन्य लघु उद्यमियों को अपने व्यवसाय स्थापित करने अथवा बढ़ाने के लिये आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराने की दृष्टि से सरकार ने राज्य में एक पिछड़ी जाति विकास वित्त निगम के गठन का निर्णय लिया है। सरकार ने इस प्रस्तावित निगम को राष्ट्रीय निगम से ससाधन प्राप्त कर पिछड़ी जातियों के उद्यमियों को ऋण उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक राजकीय गारन्टी देने का भी निर्णय कर लिया है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य :

102. अगले वर्ष इस क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। मेरा यह मानना है कि राजकीय अस्पतालों में उपलब्ध सुविधायें बहुत सीमित हैं जिनके परिणामस्वरूप गरीब व सामान्य व्यक्ति जो मंहगी चिकित्सा हेतु व्यय वहन नहीं कर सकते उन्हें भारी असुविधा व अभाव का सामना करना पड़ता है। इस दृष्टि से मैंने स्वयं ने इस बार चिकित्सा व स्वास्थ्य के मद में प्रावधानों की कमी की समस्या को देखा है व यथासंभव इसको दूर करने का प्रयास किया है। इसी क्रम में राज्य के चिकित्सालयों में दवाइयों का बजट 2 हजार 400 रुपये प्रति बिस्तर से बढ़ाकर दुगुना (4 हजार 800 रुपये प्रति वर्ष) किया जाना प्रस्तावित है। इसी प्रकार उपकेन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं डिस्पेन्सरियों में भी दवाइयों के बजट में बढ़ोतरी किया जाना प्रस्तावित है। मरीजों की खुराक की वर्तमान दर 10 रुपये प्रतिदिन से बढ़ाकर 20 रुपये प्रतिदिन किया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त वर्तमान में स्वीकृत बिस्तरों की सार संभाल के लिये भी आगामी वर्ष में उचित प्रावधान किया जा रहा है।

103. बहुत से लोगों को विशेष बीमारियों के लिये राजस्थान से बाहर जाना पड़ता है और राज्य कर्मचारियों को भी विशेष बीमारियों के इलाज के लिये राजस्थान से बाहर भेजने के लिये सरकार को हर वर्ष 10 करोड़ रुपये से ज्यादा राशि व्यय करनी पड़ती है। अतः प्रस्ताव है कि छहों मेडीकल कॉलेजों में एक-एक बीमारी के इलाज के लिये विशेष प्रबन्ध करने का प्रयत्न किया जाये। इसके लिये आगामी वर्ष में 50 लाख रुपये का टोकन प्रावधान प्रस्तावित है।

104. माननीय सदस्यों को जानकर प्रसन्नता होगी कि जयपुर में अलग से एक दांतों का अस्पताल खोलने का प्रस्ताव है, जिसके लिये अगले वर्ष 2 करोड़ 90 लाख रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

105. नाथद्वारा का देश में धार्मिक दृष्टि से एक अनूठा महत्व है। राज्य तथा अन्य राज्यों से बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु नाथद्वारा आते हैं अतः यहाँ उचित स्तर की चिकित्सा सुविधा होना आवश्यक है। स्थानीय जनता व संस्थाओं द्वारा भवन व उपकरण इत्यादि उपलब्ध कराये जाने पर नाथद्वारा के राजकीय चिकित्सालय को

(श्री चन्दनमल बैद)

उच्चीकृत व विस्तृत कर 200 बिस्तरों के चिकित्सालय में परिवर्तित किया जायेगा।

106. टेक्नीशियनों और नर्सिंग कर्मचारियों की कमी को दूर करने के लिये आगामी वर्ष में पर्याप्त प्रावधान किया जा रहा है, जिससे उपलब्ध मशीनों का उपयोग भी हो सके तथा रोगियों को बेहतर सुविधा उपलब्ध हो सके।

107. राज्य सरकार आगामी वर्ष में स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण का वृहत् कार्यक्रम हाथ में लेगी जिसके तहत प्रत्येक बच्चे का स्वास्थ्य परीक्षण चिकित्सक द्वारा स्कूल में किया जायेगा। गम्भीर बीमारियों से ग्रस्त बच्चों को रैफरल चिकित्सा सुविधा भी कैंप आयोजित कर उपलब्ध कराई जायेगी। इस कार्यक्रम हेतु 1 करोड़ 50 लाख रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

108. राज्य में टी. बी., कुष्ठ रोगों एवं अन्धेपन के निवारण हेतु 15 मार्च, 1999 से एक व्यापक अभियान प्रारम्भ किया गया है। इस अभियान के दौरान राज्य के समस्त ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों की कच्ची बस्तियों एवं स्लम एरिया में चिकित्सा विभाग के कर्मचारी घर-घर जाकर रोगियों का चिन्हीकरण करेंगे ताकि बीमारियों के निराकरण हेतु एकीकृत कार्यक्रम बनाया जा सके।

109. चिकित्सा महाविद्यालयों एवं संबद्ध चिकित्सालयों हेतु भवन निर्माण, उपकरणों की व्यवस्था व सुविधाओं के विस्तार हेतु अगले वर्ष लगभग 20 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

110. राज्य के ग्रामीण एवं शहरी चिकित्सालयों के भवनों के आधुनिकीकरण, नवीनीकरण एवं विशेष मरम्मत के लिए 2 करोड़ रुपये व्यय किया जाना प्रस्तावित है।

111. 20 जिला चिकित्सालयों में आधुनिक ऑपरेशन थियेटरों का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है जिसके लिए 2 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है।

112. राज्य के 2 हजार 406 उप-स्वास्थ्य केन्द्रों एवं 200 प्रसाविका गृहों के निर्माण कार्यो को पूर्ण करने के लिए 11 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा जाना प्रस्तावित है।

113. राज्य के 16 जिलों में अस्पतालों में उत्पन्न होने वाले कचरे को नष्ट करने के उद्देश्य से, इन्सीनरेटर उपलब्ध कराने के लिए, 2 करोड़ 85 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है ताकि दूषित कचरे से बीमारियां नहीं फैलें।

114. आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं प्रायः गरीबों की पहुंच के बाहर रही है। "मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष" में से गरीब व्यक्तियो, विधवाओं, स्वतंत्रता सेनानियों एवं वृद्धों को गम्भीर बीमारियों के आधुनिक उपचार हेतु आवश्यक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जायेगी। "मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष" में आगामी वर्ष सरकार द्वारा 2 करोड़ 50 लाख रुपये का अंशदान दिया जायेगा, केन्द्र सरकार से भी

(श्री चन्दनमल बैद)

समान अंशदान प्राप्त होने की अपेक्षा है। मेडीकेयर रिलीफ सोसायटी की आय में से भी कम से कम 25 प्रतिशत राशि इस श्रेणी के मरीजों के उपचार हेतु खर्च की जायेगी।

115. किसी भी राजकीय चिकित्सालय में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को निःशुल्क दवाइयां उपलब्ध कराने के उद्देश्य से "मेडीकेयर रिलीफ कार्ड" उपलब्ध कराये जायेंगे। इस मद में भी 1 करोड़ 50 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

116. जिला चिकित्सालयों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के आधुनिकीकरण व नवीनीकरण हेतु लगभग 400 करोड़ रुपये की परियोजना तैयार की जा रही है जो विश्व बैंक को भारत सरकार के माध्यम से स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी।

117. स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा अन्धता निवारण एवं पोलियो सुधार ऑपरेशन के प्रयत्नों में सरकार हमेशा वित्तीय सहायता करती रहेगी। सीकर के कल्याण आरोग्य सदन ने क्षय रोग के उपचार में महत्वपूर्ण कार्य कर लोकप्रियता हासिल की है। इस चिकित्सालय में 100 बिस्तरों हेतु राज्य सरकार वार्षिक अनुदान दे रही है। मैं प्रस्ताव करता हूं कि इन 100 बिस्तरों को बढ़ाकर 150 बिस्तरों के लिए अनुदान दिया जाये। अनुदान की राशि 30 हजार रुपये प्रति वर्ष प्रति बिस्तर प्रदान किया जाना प्रस्तावित है।

118. चालू वर्ष के आयोजना व आयोजना भिन्न के प्रावधानों की तुलना में आगामी वर्ष में 57 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के मद में करते हुए आगामी वर्ष में 647 करोड़ रुपये का प्रावधान करने का प्रस्ताव है जो पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा है।

आयुर्वेद व यूनानी चिकित्सा :

119. आगामी वर्ष 5 'ब' श्रेणी के आयुर्वेदिक औषधालयों को 'ए' श्रेणी में क्रमोन्नत किया जायेगा। इसके अतिरिक्त 100 'ब' श्रेणी के आयुर्वेदिक औषधालय तथा 50 यूनानी दवाखाने खोले जायेंगे, जिनके लिए 2 करोड़ 12 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है। रसायनशालाओं के विकास एवं संस्था गठित करने हेतु सीड-मनी के लिए 40 लाख रुपये तथा आधुनिक मशीनें उपलब्ध कराने के लिए 33 लाख रुपये, गरीब जनता को निःशुल्क आयुर्वेदिक औषधियां अधिक मात्रा में उपलब्ध कराने के लिए 1 करोड़ रुपये एवं राज्य में वनौषधि उद्यानों के विकास हेतु 14 लाख रुपये का वित्तीय प्रावधान रखा गया है। आयुर्वेद व यूनानी चिकित्सा पद्धति हेतु आगामी वर्ष 125 करोड़ 25 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा :

120. आगामी वर्ष में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर कुल 2 हजार 675 करोड़ 75 लाख रुपये व्यय किये जाने का प्रस्ताव है जो चालू वर्ष के बजट अनुमानों से 57 करोड़ 9 लाख रुपये अधिक है। प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु भारत सरकार एवं विश्व बैंक के सहयोग से जिला प्राथमिक शिक्षा

(श्री चन्दनमल बैद)

कार्यक्रम को आगामी वर्ष में 10 जिलों में लागू किया जायेगा।

121. राज्य में उच्च प्राथमिक विद्यालयों, माध्यमिक विद्यालयों तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों की बहुत बड़ी मांग है। इस मांग को दृष्टिगत रखते हुए अगले वर्ष 1 हजार प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक स्तर में क्रमोन्नत किया जायेगा। माध्यमिक विद्यालयों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए 400 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया जायेगा। इसके अतिरिक्त 200 माध्यमिक विद्यालयों को भी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने का प्रस्ताव है। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यगण इस बात से सहमत होंगे कि प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों के क्षेत्र में आज तक की गई वृद्धि से अगले वर्ष में की जाने वाली वृद्धि सबसे अधिक है।

122. उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने के उद्देश्य से आठवीं कक्षा का राज्य में समान पाठ्यक्रम व मूल्यांकन पद्धति सुनिश्चित करने की दृष्टि से प्रारम्भिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव है जिस पर लगभग 50 लाख रुपये व्यय होने का अनुमान है। प्रारम्भिक शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय बीकानेर में होगा। अगले वर्ष 3 जिलों यथा बारां, राजसमन्द एवं दौसा में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जायेगी।

123. राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 के सभी विद्यार्थियों के लिए विद्यार्थी सुरक्षा बीमा योजना की प्रीमियम राशि आगामी सत्र से दुगुनी किया जाना प्रस्तावित है।

124. अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में यदि विद्यार्थियों की संख्या बढ़ने के कारण नई कक्षाएँ खोली जाती हैं तो उनको मिलने वाली अनुदान राशि में अगले वर्ष वृद्धि की जायेगी। प्राथमिक स्तर से स्नातकोत्तर स्तर तक की सभी शिक्षण संस्थाओं में से ऐसी पांच शिक्षण संस्थाएं जिनका परीक्षाफल सबसे अच्छा रहेगा उनको विशेष सहायता दी जायेगी।

श्री जगमाल सिंह यादव : स्कूल खोलने के लिए पैसे तो नहीं लोगे।

श्री चन्दनमल बैद : अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थाओं ने यदि सरकार की अनुमति से संस्था को क्रमोन्नत किया है अथवा नये विषय प्रारम्भ किये हैं व इसे एक वर्ष हो गया है तो इन संस्थाओं को मिलने वाली अनुदान राशि बढ़ाई जायेगी। इस पर आगामी वर्ष में 7 करोड़ 50 लाख रुपये व्यय होने का अनुमान है।

125. यह भी प्रस्ताव है कि मान्यता प्राप्त मूक, बधिर व अन्ध बालकों के विद्यालयों को भी शत-प्रतिशत अनुदान दिया जाये तथा इन विद्यालयों के विद्यार्थियों के काम आने वाले उपकरणों की खरीद के लिए भी उचित अनुदान दिया जाये। इसके अतिरिक्त आगामी वर्ष में एक नवीन मूक/बधिर एवं अन्ध विद्यालय की स्थापना किये जाने हेतु 58 लाख 10 हजार रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

(श्री चन्दनमल बैद)

126. राजकीय विद्यालयों के भवनों के निर्माण एवं उचित रख-रखाव हेतु विद्यालय भवन विकास योजना जनसहभागिता के आधार पर लागू किया जाना प्रस्तावित है। इसके लिए आगामी वर्ष में 1 करोड़ रुपये व्यय किये जाने का प्रस्ताव है।

127. अल्पसंख्यकों को शिक्षा की समुचित सुविधा उपलब्ध कराने हेतु 200 उर्दू अध्यापकों के पद सृजित किये जायेंगे।

128. 10 वें वित्त आयोग के अन्तर्गत निर्माणाधीन 25 बालिका छात्रावासों को पूर्ण करवाया जायेगा। इसके साथ ही 3 हजार 238 प्राथमिक विद्यालयों में हैण्ड-पम्प, 100 विद्यालयों में चारदीवारी, 1 हजार 262 उच्च प्राथमिक विद्यालयों तथा 367 माध्यमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शौचालयों का निर्माण करवाया जायेगा। इसमें बालिका विद्यालयों को प्राथमिकता दी जायेगी।

उच्च शिक्षा :

129. अजमेर एवं भरतपुर महाविद्यालयों में छात्रों की बड़ी संख्या को देखते हुए आगामी वर्ष में इन स्थानों पर एक-एक अतिरिक्त महाविद्यालय प्रारम्भ किया जायेगा। इसके अतिरिक्त नीम का थाना, फलोदी, लालसोट, खेतड़ी, आमेट, शिवगंज व तारानगर (व्यवधान) तारानगर राजस्थान में ही है। राजस्थान के बाहर नहीं है। तारानगर को यह सौभाग्य प्राप्त है कि इसने राजस्थान को वित्त मंत्री दिया है। में तथा अजमेर व कोटा संभागों में स्थानीय जनता द्वारा सामुदायिक आधार पर उपयुक्त भवन उपलब्ध कराने पर प्रत्येक स्थान पर एक महाविद्यालय खोला जायेगा। इसके लिए 3 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। इनमें से नीम का थाना में महिला महाविद्यालय खोला जायेगा।

130. राजसमंद महाविद्यालय में विज्ञान संकाय की कक्षाएं प्रारम्भ की जायेंगी। इसके अतिरिक्त बढ़ती हुई छात्र संख्या को ध्यान में रखते हुए राज्य में लगभग 6 हजार विद्यार्थियों के प्रवेश हेतु 100 नये संकाय प्रारम्भ किये जायेंगे।

131. आगामी वर्ष में जोधपुर में विधि विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु 1 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा जाना प्रस्तावित है। साथ ही विश्वविद्यालयों में परिसर के विकास एवं सुविधाओं के विस्तार हेतु 2 करोड़ 25 लाख रुपये का अतिरिक्त वित्तीय प्रावधान उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है।

132. उच्च शिक्षा हेतु आगामी वर्ष 213 करोड़ 63 लाख रुपये व्यय किये जाने का प्रस्ताव है जो इस वर्ष के बजट अनुमानों से 17 करोड़ 25 लाख रुपये अधिक है।

तकनीकी शिक्षा :

133. सरकार तकनीकी व व्यावसायिक शिक्षा को अधिक महत्व देती है। वर्ष 1999–2000 की योजना के अन्तर्गत इंजीनियरिंग कॉलेजों के लिए 5 करोड़ 45 लाख रुपये, पॉलीटेक्नीक संस्थानों के लिए 11 करोड़ रुपये तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए 9 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

(श्री चन्दनमल बैद)

तकनीकी शिक्षा हेतु आगामी वर्ष में कुल 37 करोड़ 81 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

134. बीकानेर में स्वायत्तशासी अभियांत्रिकी महाविद्यालय आगामी सत्र से प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु 1 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त राज्य में उच्च तकनीकी शिक्षा की सुविधाओं के विस्तार की दृष्टि से मेडीकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, एवं मेनेजमेंट व बिजनेस इन्स्टीट्यूट्स, सामुदायिक अथवा निजी निवेश के आधार पर खोलने को प्रोत्साहन देने हेतु रियायती दर पर भूमि आवंटन तथा राज्य सरकार द्वारा दी जा सकने वाली अन्य सुविधाओं के बाबत नीति निर्धारित की जायेगी।

135. गत वर्ष अजमेर में स्थित पॉलीटेक्नीक संस्थान का उच्चीकरण कर वहां एक इंजीनियरिंग कॉलेज खोला गया था। अजमेर क्षेत्र की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आगामी वर्ष में वहां एक नया पॉलीटेक्नीक संस्थान प्रारम्भ करने तथा इंजीनियरिंग कालेज के विकास कार्य के लिए 60 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित कर रहा हूं।

136. आगामी वर्ष में जयपुर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में 'रूडा' के सहयोग से लेदर टेक्नॉलाजी पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया जायेगा।

सूचना प्रौद्योगिकी एवं कम्प्यूटरीकरण :

137. सूचना प्रौद्योगिकी आधारित मानव संसाधन अगली सदी की आवश्यकता होगी। आई.बी.एम. के सहयोग से "इंस्टीट्यूट आफ इलेक्ट्रानिक गवर्नेन्स एण्ड बिजनेस"(Institute of Electronic Governance and Business) की स्थापना हेतु कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में कम्प्यूटर शिक्षा के व्यापक प्रशिक्षण के लिए प्रत्येक पंचायत समिति में निजी क्षेत्र के सहयोग से प्रशिक्षण संस्थान प्रारम्भ किये जाने की योजना है।

138. प्रशासन में पारदर्शिता लाने एवं सूचना के अधिकार के क्रियान्वयन की दिशा में कुछ जिलों में कम्प्यूटरीकृत सूचना केन्द्र स्थापित किये जायेंगे।

(श्री चन्दनमल बैद)

भाग—2

संशोधित अनुमान 1998–99 :

139. वर्ष 1998-99 के बजट अनुमानों में 228 करोड़ 20 लाख रुपये का अधिशेष आंका गया था ।

140. चालू वित्तीय वर्ष के दौरान केन्द्रीय करों में राज्य से हिस्से की राशि में लगभग 808 करोड़ रुपये की प्राप्तियां न होने की सम्भावना तथा राज्य के कर राजस्व एवं गैर कर राजस्व में लगभग 388 करोड़ रुपये की कमी तथा कतिपय अपरिहार्य व्ययों में वृद्धि के परिणामस्वरूप संशोधित अनुमानों में उक्त अधिशेष 974 करोड़ 49 लाख रुपये के घाटे में परिवर्तित होने का अनुमान है ।

141. **संशोधित अनुमानों का संक्षिप्त विवरण :**

1. राजस्व प्राप्तियां	8838 करोड़ 10 लाख रुपये
2. राजस्व व्यय	11771 करोड़ 55 लाख रुपये
3. राजस्व खाते में घाटा	2933 करोड़ 45 लाख रुपये
4. पूंजीगत प्राप्तियां (लोक लेखे की शुद्ध प्राप्तियों सहित)	8260 करोड़ 79 लाख रुपये
5. पूंजीगत व्यय	6301 करोड़ 83 लाख रुपये
6. पूंजीगत खाते में आधिक्य	1958 करोड़ 96 लाख रुपये
7. बजटीय घाटा	974 करोड़ 49 लाख रुपये
8. प्रारम्भिक घाटा	227 करोड़ 34 लाख रुपये
9. अन्तिम घाटा	1201 करोड़ 83 लाख रुपये

142. चालू वर्ष के 974 करोड़ 49 लाख रुपये के घाटे में गत वर्ष के 227 करोड़ 34 लाख रुपये के घाटे को जोड़ने पर वर्ष के अन्त में 1201 करोड़ 83 लाख रुपये का समग्र घाटा होने का अनुमान है । चालू वित्तीय वर्ष के इस अन्तिम घाटे की प्रतिपूर्ति हेतु फिलहाल राज्य सरकार द्वारा कोई उपाय प्रस्तावित नहीं किये जा रहे हैं क्योंकि देश की समस्त राज्य सरकारों के इस प्रकार के घाटे के निपटान की व्यवस्था के बाबत भारत सरकार के अधीन विचार विमर्श चल रहा है, जिसको अन्तिम रूप अगले तीन माह में दिये जा सकने की सम्भावना है । इस राहत के बावजूद भी यदि कोई घाटा अवशेष रहता है तो उसे मैं अगले वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय में कठोर वित्तीय अनुशासन व सादगी, मितव्ययिता तथा राजस्व की बेहतर वसूली की सहायता से पाटने की चेष्टा करूंगा ।

आय-व्ययक अनुमान 1999-2000 :

143. अगले वित्तीय वर्ष 1999-2000 के आय-व्ययक अनुमानों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :—

1. राजस्व प्राप्तियां	10165 करोड़ 26 लाख रुपये
2. राजस्व व्यय	13556 करोड़ 76 लाख रुपये

(श्री चन्दनमल बैद)

3. राजस्व खाते में घाटा	3391 करोड़ 50 लाख रुपये
(जिसमें से गैर आयोजना राजस्व घाटा	2587 करोड़ 93 लाख रुपये
4. पूंजीगत प्राप्तियां (लोक लेखे की शुद्ध प्राप्तियों सहित)	7195 करोड़ 86 लाख रुपये
5. पूंजीगत व्यय	4405 करोड़ 95 लाख रुपये
6. पूंजीगत खाते में आधिक्य	2789 करोड़ 91 लाख रुपये
7. बजटीय घाटा	601 करोड़ 59 लाख रुपये

बजटीय घाटा :

144. वर्ष 1999-2000 के बजट अनुमानों में 601 करोड़ 59 लाख रुपये का बजटीय घाटा अनुमानित किया गया है। मैं इस घाटे को पूरित कर बजट को संतुलित करने का विचार रखता हूं। इस सन्दर्भ में मैं कतिपय प्रस्ताव आगे चल कर आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा।

भाग-3

145. श्रीमन् अब मैं कर प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं—

146. मैंने इस बार वित्त मंत्री के रूप में पद ग्रहण करने के पश्चात् अर्थव्यवस्था को सुधारने की दृष्टि से अर्थशास्त्रियों, कर प्रशासकों तथा उद्योग एवं व्यावसायिक वर्ग के प्रतिनिधि संगठनों से विचार विमर्श किया है। इनके द्वारा दिये गये उचित सुझावों का समावेश यथासंभव इस बजट में किया गया है।

147. राज्य की कठिन वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए दो नये कर लगाये जाने प्रस्तावित हैं। विभिन्न सेवाओं और व्यवसायों से जुड़े व्यक्तियों का विकास कार्यों में योगदान सुनिश्चित करने हेतु व्यवसाय कर (Profession Tax) लगाया जाना प्रस्तावित है। साथ ही स्थानीय क्षेत्रों में कतिपय वस्तुओं के प्रवेश पर करारोपण करने की दृष्टि से प्रवेश कर (Entry Tax लगाया जाना प्रस्तावित है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : चुंगी का ही नाम ले दो सीधा। एण्ट्री टैक्स तो हो गया वाह-वाह।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : फिर से चुंगी लगा दी आपने।

श्री चन्दनमल बैद : प्रवेश कर की वसूली चौक पोस्ट्स के द्वारा नहीं की जायेगी बल्कि स्थानीय क्षेत्र विशेष में लाये जाने वाले माल के संबंध में संधारित लेखा तथा विवरणियों (Returns) के आधार पर की जायेगी।

148. करापवंचन (टैक्स इवेजन) पर प्रभावी नियंत्रण किये जाने हेतु राजस्थान बिक्री अधिनियम व राजस्थान बिक्री कर नियमों में कुछ आवश्यक संशोधन किये जा रहे है।

149. परिवहनकर्ता (ट्रान्सपोर्टर) को वस्तु तथा व्यवहारी (डीलर) के संबंध में पूर्ण सूचना देनी आवश्यक होगी। करारोपण, ब्याज व शास्ति आरोपित करने के प्रयोजन हेतु भी परिवहनकर्ता (ट्रान्सपोर्टर) को व्यवहारी (डीलर) माना जायेगा।

(श्री चन्दनमल बैद)

150. माल परिवहन के दौरान करापवंचन (टैक्स इवेजन) पर और प्रभावी नियंत्रण करने की दृष्टि से यह प्रस्तावित है कि राज्य में 30 चुने हुए स्थानों पर प्रायोगिक तौर पर कम्प्यूटरीकृत डोक्यूमेन्ट कलैक्शन केन्द्र स्थापित किये जाये। साथ ही पहले से अधिसूचित वस्तुओं के अतिरिक्त कुछ अन्य वस्तुओं के संदर्भ में भी प्रपत्र 18 अ में घोषणा पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इसी प्रकार कुछ अधिसूचित वस्तुओं के सन्दर्भ में प्रपत्र 18 स में घोषणा पत्र देना होगा।

151. किसानों के नाम से कई व्यवहारी कतिपय वस्तुओं को राज्य से बाहर ले जाते हैं जिससे करापवंचन (टैक्स इवेजन) की संभावना रहती है। राज्य के राजस्व हित में यह प्रस्तावित है कि चना, तिलहन, धनिया तथा जीरा को राजस्थान बिक्री कर अधिनियम की धारा 2 (9) के अन्तर्गत कैजुअल ट्रेडर्स के लिये अधिसूचित कर दिया जाये ताकि इन वस्तुओं पर पूर्ण रूप से कर की वसूली हो सके।

152. करापवंचन (टैक्स इवेजन) रोकने के क्रम में जूतों, घड़ियों व हौजरी पर लागू मूल्य आधारित छूट को तुरन्त प्रभाव से समाप्त किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही प्रशमन योजनाओं (कम्पोजीशन स्कीम्स) की संवीक्षा किया जाना प्रस्तावित है।

153. राज्य में स्टेनलैस स्टील आधारित उद्योग को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से यह प्रस्तावित है कि स्टेनलैस स्टील की रिरोलिंग इकाइयों को राजस्थान बिक्री कर प्रोत्साहन/आस्थगन योजना 1998 की नकारात्मक सूची से हटा दिया जाये।

154. यह भी प्रस्तावित है कि आटा, मैदा व सूजी की अन्तर्राज्यीय बिक्री पर इन वस्तुओं के निर्माण हेतु प्रयुक्त गेहूं पर क्रय कर की दर को 27 मार्च, 1995 से 1 प्रतिशत कर दिया जाये।

155. कर चुकाये हुये धान से बने चावल की राज्य में बिक्री पर कर देय नहीं है। अब इस रियायत को अन्तर्राज्यीय बिक्री कर के संबंध में भी दिया जाना प्रस्तावित है।

156. पर्यावरण की रक्षा के लिये फ्लाई ऐश का समुचित निस्तारण आवश्यक है। फ्लाई ऐश आधारित उद्योगों को प्रोत्साहित करने हेतु यह प्रस्तावित है कि फ्लाई ऐश से निर्मित ईंटों में फ्लाई ऐश की न्यूनतम सीमा 50 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत कर दी जाये।

157. निर्यात प्रोत्साहन हेतु यह प्रस्तावित है कि आर.ई.पी. (REP) लाइसेन्स व एग्जिम स्क्रिप (Exim Scrip) की भांति ड्यूटी एन्टाइटलमेन्ट पास बुक (DEPB) तथा स्पैशल इम्पोर्ट लाइसेन्स (SIL) को भी दिनांक 8 जुलाई, 1998 तक पूर्णतया कर मुक्त कर दिया जाये तथा दिनांक 9 जुलाई, 1998 से 4 प्रतिशत की कर दर लागू की जाये। इसी क्रम में आगे यह प्रस्तावित है कि आर.ई.पी. (REP) लाइसेन्स, एग्जिम स्क्रिप (Exim Scrip), ड्यूटी एन्टाइटलमेन्ट पास बुक (DEPB) तथा स्पैशल इम्पोर्ट लाइसेन्स (SIL) पर लागू कर दर को 4 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत कर दिया जाये।

(श्री चन्दनमल बैद)

158. तेल के परिशोधन को विनिमर्माण की श्रेणी में रखने से संबंधित व्याख्या से उत्पन्न कठिनाई के निराकरण हेतु यह प्रस्तावित है कि राजस्थान बिक्री कर अधिनियम की धारा 2(27) के अन्तर्गत यह अधिसूचित किया जाये कि तेल के परिशोधन को विनिर्माण की श्रेणी में नहीं माना जायेगा। साथ ही तेल परिशोधक इकाइयों को परिशोधित तेल की बिक्री पर भूतलक्षी प्रभाव से दिनांक 25 मार्च, 1999 तक इस शर्त के साथ कर में छूट दिया जाना प्रस्तावित है कि इन इकाइयों द्वारा तेल के परिशोधन हेतु खरीदे गये अपरिष्कृत तेल पर राज्य में पूरी दर से कर चुका दिया गया हो।

159. गत बजट में यह व्यवस्था दी गई थी कि 500 मिली लीटर तक की पैकिंग के नारियल के तेल को खाद्य तेल न मानकर केश तेल माना जायेगा। अब यह प्रस्तावित है कि खाद्य तेल व केश तेल का वर्गीकरण पैकिंग की मात्रा के स्थान पर गुणों के आधार पर किया जाये।

160. मिनि सीमेन्ट संयन्त्रों की कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुए यह प्रस्तावित है कि इन संयंत्रों के लिए लागू कम्पोजीशन योजना की अवधि 31 मार्च, 2000 तक बढ़ा दी जाये। साथ ही यह भी प्रस्तावित है कि कम्पोजीशन हेतु वार्षिक राशि को 9 लाख 25 हजार रुपये प्रति वर्ष से कम कर 6 लाख रुपये प्रति वर्ष कर दिया जाये परन्तु यह शर्त रख दी जाये कि यदि कम्पोजीशन योजना के अन्तर्गत लाभ उठाने वाली इकाइयां संपूर्ण वर्ष में अपनी 60 प्रतिशत दैनिक उत्पादन क्षमता के 335 गुना से अधिक माल विक्रय करती है तो उन्हें आधिक्य के माल पर पूर्ण दर से कर देना होगा।

161. गत बजट में तथा उसके पश्चात् कई वस्तुओं के संबंध में कर दरों में कमी संबंधी रियायतें दी गई थीं। इन में से कतिपय वस्तुओं को छोड़कर अन्य वस्तुओं के संबंध में दी गई रियायतों को समाप्त किया जाना प्रस्तावित है।

162. राजस्व वृद्धि की दृष्टि से यह प्रस्तावित है कि निम्नांकित वस्तुओं की वर्तमान कर दरों में वृद्धि की जाए :–

(i) पोस्त दाने पर वर्तमान में कर देय नहीं हैं। इस पर 4 प्रतिशत की दर से कर लगाया जाना प्रस्तावित है।

(ii) नॉनस्टिक बर्तनों तथा कुकवेयर पर वर्तमान कर दर को 2 प्रतिशत से बढ़ाकर 8 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है।

(iii) पान मसाला, गुटके व चूरी पर कर दर 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 16 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है।

(iv) हीरे, संश्लेषित जवाहरात व नगीने तथा मूल्यवान तथा अर्द्ध मूल्यवान जवाहरात तथा नगीनों व मोतियों पर 2 प्रतिशत की दर से कर लगाया जाना प्रस्तावित है।

(v) लॉटरी टिकिट, आयातित विदेशी मदिरा व अफीम पर बिक्री कर

(श्री चन्दनमल बैद)

की दर को 40 प्रतिशत से बढ़ाकर 44 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है।

श्री जगत सिंह दायमा : यह कम है, और बढ़ायी जाए। 50 करो।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : इसको 40 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत करिये।

श्री चन्दनमल बैद : 163. राज्य से व्यापार पलायन रोकने की दृष्टि से कतिपय कर दरों से सुसंगतीकरण करने के एवं अन्य संबंधित प्रस्ताव निम्नानुसार प्रस्तुत हैं।

164. पड़ौसी राज्यों में मोटर वाहनों पर 4 प्रतिशत की दर से कर देय है जबकि राजस्थान में 6 प्रतिशत की दर से कर देय है। अधिक कर दर के कारण उपभोक्ता अन्य राज्यों से वाहन खरीदते हैं। अतः यह प्रस्तावित है कि मोटर वाहनों पर लागू कर दर को 31 मार्च, 2000 तक के लिए 6 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत कर दिया जाये।

165. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के इस युग में कार्यकुशलता में वृद्धि के लिए कम्प्यूटरों व उनके पुर्जों की विशेष भूमिका है। कम्प्यूटरों व उनके पुर्जों तथा एक्सेसरीज पर 4 प्रतिशत की दर से कर देय है जबकि प्रिन्टर, सी.वी.टी. व यू.पी.एस. पर 12 प्रतिशत की दर से कर देय है। इस विसंगति को दूर करने हेतु यह प्रस्तावित है कि कम्प्यूटर से संबंधित प्रिन्टर, सी.वी.टी. व यू.पी.एस. पर कर दर को 12 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत कर दिया जाये।

166. कैलकूलेटर्स पर वर्तमान में देय कर दर को कम कर 4 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है।

167. यह भी प्रस्तावित है कि केरोसीन स्टोव के पुर्जों को कर मुक्त कर दिया जाये।

168. गत वर्षों में राज्य में अपेक्षाकृत अधिक मूल्य वाले चश्में बनाने वाली इकाइयां स्थापित हुई है। चश्मों पर कर दर 4 प्रतिशत होने के कारण इन इकाइयों द्वारा राज्य से बाहर शाखा स्थानान्तरण किया जा रहा है जिससे राजस्व हानि हो रही है। अतः प्रस्तावित है कि चश्मों पर लागू वर्तमान कर दर को 4 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत कर दिया जाये।

169. कैलशियम कार्बाईड के औद्योगिक उपयोग को देखते हुए यह प्रस्तावित है कि इस वस्तु पर वर्तमान में लागू कर दर को 4 प्रतिशत से कम कर 2 प्रतिशत कर दिया जाये। इसी प्रकार जिन्क ऑक्साईड की औद्योगिक महत्ता को देखते हुए इसे पूर्णतः कर-मुक्त किया जाना प्रस्तावित है।

170. बस बॉडी का अन्य राज्यों में व्यापार पलायन रोकने के लिये यह प्रस्तावित है कि बस बॉडी पर लागू कर दर को घटाकर 4 प्रतिशत कर दिया जाये।

171. वनस्पति घी का प्रयोग अब आम हो गया है अतः यह प्रस्तावित है कि वनस्पति घी पर लागू कर दर को 6 प्रतिशत से घटाकर खाद्य तेल व देशी घी के समान 4 प्रतिशत कर दिया जाये।

(श्री चन्दनमल बैद)

172. रक्तदान की महत्ता को देखते हुए यह प्रस्तावित है कि ब्लड कलेक्शन बैग तथा ब्लड ट्रान्सफ्यूजन सेट को कर मुक्त कर दिया जाये।

173. आम आदमी के उपयोग में आने वाली निवार तथा कॉटन टेप को भी पूर्णतया कर-मुक्त किया जाना प्रस्तावित है।

174. महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने हेतु यह प्रस्तावित है कि वर्तमान में कर-मुक्ति हेतु लागू टर्न ओवर सीमा को 5 लाख रुपये प्रति वर्ष से बढ़ाकर 20 लाख रुपये प्रति वर्ष कर दिया जाये।

175. कैन्सर के उपचार में काम में आने वाली कुछ औषधियां पहले से कर मुक्त है। अब इस सूची में कुछ अन्य औषधियों को सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही हिपेटाईटिस बी के टीके तथा ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट को पूर्णतया कर मुक्त किया जाना प्रस्तावित है।

176. इसके अतिरिक्त निम्नांकित वस्तुओं को भी पूर्णतया कर-मुक्त किया जाना प्रस्तावित है।

1. इलैक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन
2. गुलाब जल / केवड़ा जल
3. कृपाण
4. बुर्का
5. गुलाल
6. गुब्बारे
7. महावर
8. मंगल सूत्र (सोने के अलावा)
9. गुग्गल, पीपल, अर्जुन की छाल
10. तुलसी माला
11. ग्राफ पेपर
12. सिलाई मशीन का स्टैण्ड
13. स्वेटर बुनने की सलाइयां
14. बार कोडिंग मशीन

पंजीयन व मुद्रांक :

177. यह प्रस्तावित है कि पैतृक कृषि भूमि के हस्तांतरण के प्रकरणों को मुद्रांक शुल्क से मुक्त रखा जाये।

178. औद्योगिक संगठनों की मांग को दृष्टिगत रखते हुए यह प्रस्तावित है कि कस्टम बॉण्ड पर लागू मुद्रांक कर की रियायती दर अब एक्साइज बॉण्ड पर भी लागू होगी।

179. मुद्रांक अधिनियम में आठ श्रेणी के रिश्तेदारों के सम्बन्ध में अचल सम्पत्ति का हक त्याग करने की स्थिति में 100 रुपये की रियायती दर अब इनके कानूनी उत्तराधिकारियों को भी दिया जाना प्रस्तावित है।

180. इकरारनामों के माध्यम से होने वाले भूमि बेचान के प्रकरणों में होने वाली करापवंचना (ड्यूटी इवेजन) को रोकने हेतु यह प्रस्तावित है कि अब इकरारनामों पर 100 रुपये के स्थान पर भूमि के बाजार मूल्य के 3 प्रतिशत के बराबर मुद्रांक लगाना होगा। इकरारनामों का पजीयन 6 माह के अन्दर करवाने पर देय मुद्रांक राशि में से इकरारनामे के सम्पादन के वक्त लगाई गई मुद्रांक राशि के समतुल्य राशि को कम कर दिया जायेगा।

(श्री चन्दनमल बैद)

181. इंदिरा गांधी नहर, भाखड़ा व गंग नहर क्षेत्रों में भूमि के क्रय सम्बन्धी दस्तावेजों के पंजीयन के लिए यह शर्त है कि क्रेता या उसके रिश्तेदारों का नाम वर्ष 1971 की मतदाता सूची में होना चाहिये। यह प्रस्तावित है कि वर्ष 1971 के स्थान पर अब वर्ष 1981 की मतदाता सूची में नाम होने की अनिवार्यता होगी।

182. मुख्तारनामों के तहत बेचान के प्रकरणों की अधिकता के कारण होने वाली राजस्व हानि को देखते हुए यह प्रस्तावित है कि छह माह से अधिक की अवधि के मुख्तारनामों के मार्फत भूमि के बेचान के पंजीयन को लोक नीति के विरुद्ध घोषित कर दिया जाये।

मनोरंजन कर :

183. गत बजट में 10 रुपये तक के प्रवेश शुल्क के सिनेमा टिकटों पर मनोरंजन कर की दर 100 प्रतिशत से घटाकर 50 प्रतिशत की गई थी। अब राजस्व हित में यह प्रस्तावित है कि इस दर को पुनः बढ़ा कर 50 प्रतिशत से 100 प्रतिशत कर दिया जाये।

184. सशस्त्र सेनाओं के जवानों के हित में यह प्रस्तावित है कि सशस्त्र सेनाओं के जवानों को उपलब्ध मनोरंजन कर में छूट की सीमा को 1 रुपये प्रति टिकट से बढ़ाकर 10 रुपये प्रति टिकिट कर दिया जाये।

185. खेल-कूद व कला की विभिन्न विधाओं को प्रोत्साहित करने हेतु यह प्रस्तावित है कि खेल-कूद, दंगल, कव्वाली तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर मनोरंजन कर में पूर्ण छूट दे दी जाये।

186. केबल चैनलों के व्यवसाय से होने वाली लाभदेयता में राज्य सरकार की हिस्सेदारी सुनिश्चित करने हेतु केबल चैनलों पर 10 रुपये प्रति उपभोक्ता प्रति माह की दर से मनोरंजन कर लगाया जाना प्रस्तावित है।

भूमि एवं भवन कर :

187. सभी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं की भूमि एवं भवन कर में छूट दी जायेगी। इन संस्थाओं से जुड़े बैंक, कैन्टीन बुक शॉप, स्वीमिंग पूल, प्लै-ग्राऊण्ड तथा गैस्ट हाऊस आदि भूमि व भवन कर से मुक्त होंगे।

मोटर वाहन कर :

188. किसानों को राहत देने के उद्देश्य से Agriculture Tractors के साथ खींचे जाने वाले ट्रेलर्स को कर-देय श्रेणी से हटाया जाना प्रस्तावित है।

189. मोटर वाहनों पर देय कर से सम्बन्धित परिवर्तनों के अन्तर्गत मुख्यतः वाहनों की श्रेणियों के सम्बन्ध में देय कर की अधिकतम सीमा संशोधित की जा रही है। साथ ही प्रत्येक स्वामित्व हस्तांतरण पर पूर्व में दिये गये एक-बारीय कर का 50 प्रतिशत अतिरिक्त कर लगाया जाना प्रस्तावित है। दुपहिया वाहनों को इससे मुक्त रखा गया है।

विलासिता कर (लग्जरी टैक्स) :

190. होटलों पर लागू विलासिता कर की दर 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 7.5 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है।

(श्री चन्दनमल बैद)

191. तम्बाकू पर वर्तमान में टर्न-ओवर के 5 प्रतिशत की दर से विलासिता कर देय है। इस दर को 5 प्रतिशत से बढ़ा कर 7 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है।

विद्युत शुल्क :

192. काफी समय से विद्युत शुल्क की दरों में संशोधन नहीं किया गया है। अतिरिक्त राजस्व अर्जन की दृष्टि से विद्युत शुल्क की दरों को संशोधित किया जा रहा है। वाणिज्यिक, घरेलू, औद्योगिक व खनिज कनैक्शन्स की श्रेणियों में विद्युत शुल्क की दर 10 पैसे प्रति यूनिट बढ़ाकर 20 पैसे प्रति यूनिट, अस्थायी कनैक्शन श्रेणी में 15 पैसे प्रति यूनिट बढ़ाकर 30 पैसे प्रति यूनिट तथा स्वउत्पादित विद्युत श्रेणी में 8 पैसे प्रति यूनिट से बढ़ाकर 16 पैसे प्रति यूनिट एवं कृषि श्रेणी में मीटर्ड सप्लाई पर 1 पैसे प्रति यूनिट से बढ़ाकर 2 पैसे प्रति यूनिट किया जाना प्रस्तावित है। कृषि क्षेत्र में नोन-मीटर्ड (फ्लैट रेट) सप्लाई पर विद्युत शुल्क की दरें अपरिवर्तित रहेगी।

डा. किरोड़ी लाल : किसान विरोधी।

श्री शैलेन्द्र जोशी : किसानों को बिजली तो मिली है।

श्री चन्दनमल बैद : अप्रधान खनिजों की रॉयल्टी दरों में संशोधन :

193. अप्रधान खनिज (Minor Mineral) जैसे कि सैण्ड स्टोन, लाईम स्टोन, मैसनरी स्टोन, लाईम कंकर व फिलाईट आदि की दरों में 20 प्रतिशत 25 प्रतिशत तक की वृद्धि की जा रही है।

सिंचाई की दरों में संशोधन :

194. राज्य में विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से बोई गई जमीन का एक बड़ा भाग सिंचित होता है। राज्य में वर्तमान में चालू सिंचाई शुल्क की दरें 1982 में निर्धारित हुई थी। पिछले 17 वर्षों में इनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, जबकि सिंचाई सुविधाओं व परियोजनाओं के रख रखाव व संधारण की लागत में बहुत भारी वृद्धि हो गई है। यहां तक कि राज्य इन सुविधाओं के संधारण के लिए समुचित राशियों का प्रावधान नहीं कर पा रहा है। अतः मैं प्रस्तावित करता हूं कि सिंचाई शुल्क की दरों में मोटे तौर पर लगभग 100 प्रतिशत वृद्धि की जाये। जिन्स व फसल वार संशोधित दरें पृथक से अधिसूचित होकर 1 अप्रैल, 1999 से लागू होगी। इससे प्राप्त होने वाली अतिरिक्त राजस्व राशि का सिंचाई व्यवस्था तंत्र के बेहतर संधारण हेतु आय की प्रत्याशा में अतिरिक्त रूप से प्रावधान करने का प्रस्ताव भी करता हूं। सिंचाई दरों में इस संशोधन के साथ ही विश्व बैंक की 1 हजार 800 करोड़ रुपये की लागत का राजस्थान वाटर रिसोर्सेज कन्सोलीडेशन प्रोजेक्ट तथा जर्मनी के के. एफ. डब्ल्यू. द्वारा राजस्थान माइनर इरीगेशन प्रोजेक्ट – द्वितीय चरण के लिए 63 करोड़ रुपये की सहायता प्राप्त करने का मार्ग भी प्रशस्त हो सकेगा।

(श्री चन्दनमल बैद)

भाग-4

कुछ अतिरिक्त संसाधन जुटाने का प्रयास :

195. कुछ क्षण पूर्व मैंने अगले वर्ष की समग्र बजटीय स्थिति दर्शाते हुए बताया था कि वर्ष का समग्र बजटीय घाटा 601 करोड़ 59 लाख रुपये अनुमानित है और जैसा मैंने कहा था, मैं इस घाटे को पूरित करना चाहता हूं।

196. बिक्री कर के संबंध में रियायतों को वापिस लेने तथा कुछ वस्तुओं पर दरें बढ़ाने से लगभग 115 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय होने की सम्भावना है। मनोरंजन कर तथा विलासिता कर में संशोधन के प्रस्तावों से लगभग 13 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय तथा मुद्रांक शुल्क कर प्रस्तावों से 70 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय सम्भावित है। मोटर वाहन कर से संबंधित नये प्रस्तावों से 11 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय होना अनुमानित है।

197. ऊपर वर्णित कर व शुल्क सम्बन्धी प्रस्तावों के अतिरिक्त विद्युत शुल्क की दरों में संशोधन से 91 करोड़ रुपये तथा खनिज रायल्टी दरों में संशोधन से 6 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय संभावित है।

198. सिंचाई दरों में संशोधन से 15 करोड़ रुपये की अतिरिक्त प्राप्ति अनुमानित है।

199. यथा-प्रस्तावित व्यवसाय कर तथा प्रवेश कर से लगभग 141 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय अपेक्षित है।

200. भाग-3 के प्रस्तावों के अलावा मैं निम्न प्रकार से अतिरिक्त संसाधन जुटाना भी प्रस्तावित करता हूं:

इंदिरा गाँधी नहर परियोजना क्षेत्र में अनावंटित 3 लाख 57 हजार हैक्टेयर सिंचाई योग्य विकसित क्षेत्र में जमीनों को एक समयबद्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत त्वरित गति से काश्तकारों को आवंटित किया जायेगा। इससे क्षेत्र के विकास के अलावा राज्य को राजस्व के रूप में 200 करोड़ रुपये प्राप्त हो सकेंगे।

201. शासन ने राज्य के शहरी क्षेत्रों में वर्षों से चली आ रही कृषि भूमि के गैर कृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण की समस्या के बारे में गम्भीर चिन्तन किया है। कई घोषणाओं के बावजूद इस समस्या का एक कानून-सम्मत एवं जनसुविधापरक समाधान नहीं निकल पाया। नागरिकों की सुविधा हेतु अब सरकार ने यह निश्चय किया है कि वह ऐसे रिहायशी भूखण्डों पर, जिनका अभी तक कृषि भूमि से अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण नहीं हुआ है, मौके पर काबिज नागरिक को सीधे ही सरकार से प्रत्यक्ष रूप से लीज-धारक के रूप में सम्बन्ध स्थापित कर सुविधा प्रदान की जाए। इस कार्यक्रम के तहत जहाँ वर्षों से चली आ रही समस्या का समाधान होगा, वहीं राज्य कोष को 100 करोड़ रुपये का अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध होने का अनुमान है।

202. इस प्रकार जुटाये गये कुल 267 करोड रुपये के अतिरिक्त संसाधनों की सहायता से मैं वर्ष 1999-2000 में प्रारम्भिक तौर पर अनुमानित 601 करोड़ 59 लाख रुपये के बजटीय घाटे को पूरित

(श्री चन्दनमल बैद)

करना प्रस्तावित करता हूं। ऐसा करते ही बजट में अनुमानित राजस्व घाटा भी 3 हजार 391 करोड़ 50 लाख रुपये से घट कर 2 हजार 629 करोड़ 50 लाख रुपये ही रह जायेगा।

203. अगले वर्ष के बजट को संतुलित कर देने के पश्चात् शेष 160 करोड़ 41 लाख रुपये के संसाधनों में से 100 करोड़ रुपये की राशि राज्य में अभावग्रस्त क्षेत्रों में राहत सम्बन्धी निर्माण कार्यों, पेयजल तथा चारे आदि की व्यवस्था पर होने वाले सम्भावित अतिरिक्त व्यय के लिये रखना प्रस्तावित करता हूं। यह राशि बजट में इस प्रयोजनार्थ फिलहाल आवंटित राशि के अतिरिक्त होगी।

204. यदि किन्हीं कारणों से राहत कार्यों पर प्रस्तावित अतिरिक्त राशि का पूरा उपयोग नहीं होता है तो अतिरिक्त प्रावधान में से शेष राशि तथा बचे हुए 60 करोड़ 41 लाख रुपये की अतिरिक्त संसाधन की राशि की सहायता से सर्वप्रथम ग्रामीण विकास की विशिष्ट योजनाओं, जिनके लिए पहले से ही 32 करोड़ रुपये प्रावहित हैं, हेतु 39 करोड़ 41 लाख रुपये और सुरक्षित रख कर शेष 21 करोड़ रुपये को मैं सामाजिक सेवाओं तथा समाज कल्याण आदि हेतु यथा-आवश्यकता अतिरिक्त प्रावधान कर उपयोग करना प्रस्तावित करता हूं जिनकी विगत मैं मांगों के प्रथम अथवा द्वितीय संकलनों में यथासमय विधानसभा में प्रस्तुत कर उपलब्ध करा दूंगा।

मध्यावधि आर्थिक एवं वित्तीय सुधार :

205. आज केन्द्र सरकार के साथ साथ देश भर के समस्त राज्य भारी राजस्व घाटे में चल रहे हैं, साथ ही विकासीय अवधारणाओं की पूर्ति हेतु राज्यों को ऋण भी उगाहना पड़ रहा है जिसके चलते ब्याज अदायगियों का बोझ बढ़ रहा है। संसाधनों की कमी के दबाव को पाँचवें वेतन आयोग के भार ने और भी गहरा दिया है। सरकार ने यह संकल्प लिया है कि इस स्थिति में सकारात्मक सुधार लाने हेतु एक कार्यकारी योजना अमल में लायी जाये जिसके अन्तर्गत परिहार्य खर्चों में भारी कटौती कर तथा नये संसाधन जुटाने जैसे प्रभावी कदम उठाकर 5 वर्षों में शनैः शनैः राज्य के बजट के राजस्व घाटे को कम करते हुए पूर्ण रूप से समाप्त कर राजस्व खाते में अधिशेष की स्थिति लायी जाये। साथ ही शासन के ऊपर आने वाले आकस्मिक दायित्वों (Contingent Liabilities) से निपटने हेतु आगामी वर्ष में "राजकीय प्रत्याभूति रिडम्पशन फण्ड" (Government Guarantees Redemption Fund) की स्थापना किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस फण्ड हेतु प्रारम्भ में 1 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

206. मैं वर्ष 1999–2000 का वार्षिक वित्तीय विवरण सभा-पटल पर रख रहा हूं। अन्य बजट पत्रों के साथ अनुदान की मांगें भी प्रस्तुत की जा रही है। चूंकि सदन के पास वित्त वर्ष की समाप्ति से पूर्व बजट अनुमानों पर विस्तृत चर्चा कर मांगे पारित करने का पर्याप्त समय उपलब्ध

(श्री चन्दनमल बैद)

नहीं है अतः मैं वित्तीय वर्ष 1999-2000 के पहले तीन महीनों की अवधि के लिये, यथा 30 जून, 1999 तक, व्यय हेतु "लेखानुदान" की मांग कर रहा हूं।

207. हमने जिन कठिन परिस्थितियों में सरकार का उत्तरदायित्व संभाला है उससे माननीय सदस्य भलीभाँति परिचित हैं। फिर भी राज्य के विकास की दर बढ़ाने के लिए विषम स्थिति में भी हमने ऊँचे लक्ष्य निर्धारित किये हैं। राज्य के सर्वांगीण विकास हेतु मैं यह बजट किसी विभाग या सेवा विशेष को समर्पित नहीं करके राज्य की जनता को ही समर्पित करता हूं। मुझे यह आशा व विश्वास है कि इस बजट के माध्यम से जहाँ एक ओर इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में नये निवेश से अर्थ-व्यवस्था में मांग की बढ़ोतरी के साथ विकास को गति मिलेगी वहीं दूसरी ओर समाज के कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों तथा निःशक्त व्यक्तियों के सामाजिक व आर्थिक उत्थान में भी मदद मिलेगी। अतः अब मैं इन बजट प्रस्तावों को लेखानुदान प्रस्ताव सहित स्वीकृत करने की सिफारिश के साथ माननीय सदन के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करता हूं।

जयहिन्द।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : अध्यक्ष महोदय, पानी पी पीकर टैक्स लगाया है (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आज बजट पेश हुआ है इसलिए आपने शुरू में जो प्रश्न उठाये उसकी सैंक्टिटी के आधार पर यह कहा था कि इसको न उठाया जाए। जैसे हिरणों का मामला है और हमारे स्टेडियम में जो मैच हुआ, उस पर आपने भी जानकारी दी थी जो सारी अव्यवस्थाएं हुई हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगली बार जब मिलें तो सरकार इसकी तरफ दखल दे, यह आप निर्देश दे दें। हम आज इसको नहीं उठा रहे हैं क्योंकि बजट की सैंक्टिटी है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं) : माननीय अध्यक्ष महोदय, 23 तारीख के रोज गृह मंत्री जी ने सदन में गलत बयानी की थी।

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह स्टेडियम मैच की तो छुट्टी आपने करवायी थी, हम तो छुट्टी के पक्ष में ही नहीं थे।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैच की टिकटों के बारे में गृह मंत्री जी ने बिलकुल गलत बयानी की थी इस सदन के अन्दर और अब वो जा रहे हैं सदन छोड़कर। अध्यक्ष महोदय, कम से कम इस बारे में आप उनका स्पष्टीकरण तो दिलवाएं।

डा. किरोड़ी लाल : गृह मंत्री जी ने यह कहा था कि कोई फर्जी टिकट नहीं बेचे जा रहे। (व्यवधान)....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : कोई फर्जी टिकट नहीं उसके बावजूद भी पांच आदमी पकड़े गये।

श्री बुलाकीदास कल्ला : बजट के दिन इस तरह का कोई प्रश्न नहीं उठा सकते। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : पांच आदमी पकड़े गये दिल्ली, में फर्जी टिकटें वहां पर छपी हैं। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : इतना जबर्दस्त पीलिया फैल रहा है। हजारों लोग पीलिया से प्रभावित हैं।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान राज्य के आय-व्ययक अनुमान 1999–2000 का उपस्थापन करता हूं, सदन की मेज पर रखता हूं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री जी से कुछ कहलवाएं तो सही इस बारे में आप। माननीय अध्यक्ष महोदय, आसन ने मेरी बात की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया।

लेखानुदान (1999-2000) सम्बन्धी विवरण

श्री अध्यक्ष : श्री चन्दनमल बैद, वित्त मंत्री वर्ष 1999–2000 के लिए लेखानुदान (वोट ऑन अकाउन्ट) सम्बन्धी विवरण भी प्रस्तुत करेंगे।

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 1999–2000 के लिए लेखानुदान का विवरण प्रस्तुत करता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने भी ध्यान आकर्षण किया था ·· (व्यवधान) ·· हम व्यवस्था चाहते हैं। स्टेडियम के अन्दर इन्होंने कहा था कि ·· (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आसन पैरों पर है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अधिक लोग नहीं आएंगे····(व्यवधान) ··· अध्यक्ष महोदय, सारे समाचार पत्रों में छपा है और अन्दाजन....(व्यवधान)... और लाठीचार्ज हुआ है चार बार, अध्यक्ष महोदय। आप स्टेटमैंट दिलवा दीजिए कब भी, आज की बात नहीं कह रहा हूं। हम तो प्रोटेक्शन मांग रहे हैं, व्यवस्था की बात कर रहे हैं .. (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : ऐसी कोई परम्परा नहीं रही आज तक के इतिहास में ··· (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : इतना बढ़िया बजट आया है आज। जनता के हितों का, किसानों के हितों का बजट आया है।.... (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : पीलिया के बुखार के कारण हजारों लोग बीमार हो रहे है, वहां कोई धणी-धोरी नहीं है।

विधायी कार्य : विधेयक का पुरःस्थापन

राजस्थान वित्त विधेयक, 1999

श्री अध्यक्ष : राजस्थान वित्त विधेयक, 1999 का पुरःस्थापन।

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान वित्त विधेयक, 1999 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान वित्त विधेयक, 1999 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान वित्त विधेयक, 1999 को पुरःस्थापित करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : सिर्फ इंट्रोडक्शन ही है, पुरःस्थापित ही हो रहे हैं ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, वह ठीक है । मैं आसन से यह निवेदन कर रही हूं यदि सदन में ...

एक माननीय सदस्य : आसन पैरों पर है ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आसन तो बाद में पांवों पर हुआ है पहले तो मैं खड़ी हुई हूं ना ।.....(व्यवधान).....आसन पैरों पर है तो क्या हुआ, पहले मैं खड़ी हूं ।

श्री अध्यक्ष : राजस्थान वृत्ति व्यापार आजीविका और नियोजन पर कर विधेयक, 1999 का पुरःस्थापन ।

राजस्थान वृत्ति व्यापार आजीविका और नियोजन पर कर विधेयक, 1999

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान वृत्ति व्यापार आजीविका और नियोजन पर कर विधेयक, 1999 को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान वृत्ति व्यापार आजीविका और नियोजन पर कर विधेयक, 1999 को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी ।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान वृत्ति व्यापार आजीविका और नियोजन पर कर विधेयक, 1999 को पुरः स्थापित करता हूं ।

राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर विधेयक, 1999

श्री अध्यक्ष : राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर विधेयक, 1999 का पुरः स्थापन ।

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर विधेयक, 1999 को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर विधेयक, 1999 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी ।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर विधेयक, 1999 को पुरः स्थापित करता हूं ।

राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में मोटर यानों के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 1999

श्री अध्यक्ष : राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में मोटरयानों के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 1999 ।

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में मोटरयानों के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 1999 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में मोटरयानों के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 1999 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में मोटरयानों के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 1999 को पुरःस्थापित करता हूं।

लेखानुदान सम्बन्धी प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : लेखानुदान सम्बन्धी प्रस्ताव पर मतदान। श्री चन्दनमल बैद, वित्त मंत्री लेखानुदान सम्बन्धी प्रस्ताव मतदान हेतु प्रस्तुत करेंगे।

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राज्यपाल महोदय को 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लेखानुदान 1999–2000 के विवरण में मांग संख्या 1 से 50 के सम्मुख अंकित लेखानुदान की राशियों से अनधिक जिनका योग रुपये 50,29,95,91,000/– (पांच हजार उन्तीस करोड़ पिचानवे लाख इक्यानवे हजार) मात्र है, व्यय के लिए प्रदान की जाएं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राज्यपाल महोदय को 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लेखानुदान 1999–2000 के विवरण में मांग संख्या 1 से 50 के सम्मुख अंकित लेखानुदान की राशियों से अनधिक जिनका योग 50,29,95,91,000/– (पांच हजार उन्तीस करोड़ पिचानवे लाख इक्यानवे हजार) मात्र है, व्यय के लिए प्रदान की जाएं ?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) (संख्या 3) विधेयक, 1999

विधेयक का पुरःस्थापन

राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) (संख्या–3) विधेयक, 1999 का पुरःस्थापन।

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) (संख्या–3) विधेयक, 1999 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) (संख्या–3) विधेयक 1999 को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।

(स्वीकृत)

विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की गयी।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) (संख्या–3) विधेयक, 1999 को पुरःस्थापित करता हूं।

विधेयक पर विचार

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) (संख्या–3) विधेयक, 1999 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) (संख्या–3) विधेयक 1999 को विचारार्थ लिया जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

विधेयक का पारण

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) (संख्या 3) विधेयक, 1999 को पारित किया जाए ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) (संख्या–3) विधेयक, 1999 को पारित किया जाए।

(स्वीकृत)

राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) (संख्या–3) विधेयक, 1999 पारित किया गया।

डा. किरोड़ी लाल : काले हिरणों की कुत्तों ने भीतर .. (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले मैं बोलने खड़ी हुई, आसन पैरों पर हो गया। आप मेरी बात तो सुन लीजिये।

श्री अध्यक्ष : उपाध्यक्षजी का चुनाव कराना है। उपाध्यक्ष का निर्वाचन।

व्यवस्था का प्रश्न

सभी मांगों के लिए लेखानुदान का पारण एक साथ नहीं हो सकता

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री बुलाकीदास कल्ला : पाइन्ट आफ आर्डर नहीं हो सकता।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : नहीं, क्यों नहीं हो सकता ? किसने कहा ? क्यों नहीं हो सकता ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : किस नियम से है पाइन्ट आफ आर्डर, बताइये आप ?

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : पाइन्ट आफ आर्डर क्यों नहीं हो सकता ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : पाइन्ट आफ आर्डर का नियम बताइये आप। कोई नहीं होता।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : वोट ओन अकाउण्ट 150 .. (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : कोई नहीं होता। अध्यक्ष महोदय, यह सदन परम्पराओं से और नियमों से चलता है।.... (व्यवधान)

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : 150 वोट ओन अकाउण्ट पर नम्बर 4 लीजिये।

"In other respects a motion for vote on account shall be dealt

(श्री विजयेन्द्रपाल सिंह)

with in the same way as if it were a demand for grant."

इसका मतलब है कि ऐवरी डिमांड, आप यह नहीं कह सकते कि एक साथ ही सब पास कर देते हैं, एक-एक को पास करना पड़ेगा आपको। एक-एक को पास करना पड़ेगा, यह आप देखिये, इसका मतलब है।

श्री रामस्वरूप : पास होने के बाद अब कह रहे हो।

श्री राधेश्याम गंगानगर : पास हो गयी फिर क्या कह रहे हो ? (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : अब क्या कह रहे हो ? पास हो गयी उसके बाद कह रहे हो आप।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : एवरी डिमांड जैसे पास करते हैं, एक-एक को पास कराएं।....(व्यवधान)....नहीं कर सकते।

श्री रामस्वरूप : अब तो पास हो गयी अब क्या कह रहे हो ? अब हो गया पास, आप हो गये फैल। (व्यवधान)

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : यह गलत हुआ है। यह परम्परा के खिलाफ है। आप इस पर रूलिंग दीजिये।

श्री राधेश्याम गंगानगर : अध्यक्षजी, हमारे सम्माननीय सदस्य फोरेन से पढ़ कर आये हैं। बजट पास हो गया, और अब कह रहे हैं। इनकी समझ में ही नहीं आ रही बात। उस वक्त कोई और चिन्ता थी आपके दिमाग में। जो चीज ही पास हो गयी बिजनस एजेण्डा की....

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : रूलिंग दीजिए।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : बिजनस एजेंडा है आपका पढ़ दीजिए। अध्यक्ष महोदय ने आज का बिजनस एजेण्डा प्रस्तुत किया है (व्यवधान)

व्यवस्था

परम्परानुसार लेखानुदान का सम्मिलित पारण किया जा सकता है

श्री अध्यक्ष : लेखानुदान के सम्बन्ध में एक-एक ग्रांट पर वोट नहीं होता। कुल मिलाकर 1 से 50 तक की जो डिमाण्ड हैं, यह परम्परा यहां है और लोक सभा में भी यही परम्परा है। राजस्थान में लेखानुदान हुआ है। उसी परम्परा की अनुपालना हुई है। इसलिए आपकी व्यवस्था के प्रश्न को मैं निरस्त करता हूं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, आपकी निगाह उधर ही उधर रहती है, तीन-चार बार खड़ी हो गयीं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ कहना चाह रही थी आसन पैरों पर हो गया इसलिए मैं बैठ गयी। अब मैं फिर कुछ कहना चाह रही हूं आप मुझे आज्ञा तो दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, 23 तारीख के रोज माननीय गृह मंत्रीजी ने....मैं कुछ कहना चाह रही हूं अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : सम्माननीय माननीय सदस्या, मुझे भी आप से कुछ निवेदन करना है। मेरा निवेदन यह है, उपाध्यक्षजी के चुनाव की प्रक्रिया को मैं अभी प्रारम्भ कर दूं और चुनाव करवा लें उसके बाद

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उसके बाद तो सदन समाप्त हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष : मैं उसके बाद आपको अवसर दूंगा।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उसके बाद तो कार्यवाही खतम हो जायेगी।

श्री अध्यक्ष : उसके बाद मैं आपको अवसर दूंगा।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उपाध्यक्ष महोदय के चुनाव के बाद तो कार्यवाही खतम हो जाएगी।

श्री अध्यक्ष : उसके बाद मैं आपको अवसर दूंगा। उसके बाद अवसर दूंगा आपको, दे दूंगा, दे दूंगा।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रही थी कि 23 तारीख के रोज गृह मंत्रीजी ने पाकिस्तान और हिन्दुस्तान के बीच में जो क्रिकेट मैच 24 तारीख को होने वाला था उसके बारे में यहां गलत बयानी की है। उन्होंने विश्वास दिलाया था कि किसी तरह की कोई भी न फर्जी टिकटें बिकी हैं, न कोई रैकेट पकड़ा गया है। लेकिन मैच के बाद अफरा तफरी भी हुई, लाठी चार्ज भी हुआ, पकड़े भी गये। जिन लोगों के पास असली टिकटें थीं वे वंचित भी हुए। उन्हें पैसा वापस भी मिला और वापस करना पड़ा। इसलिए मैं चाहूंगी कि गृह मंत्रीजी खेद प्रकट करें जो गलत बयानी उन्होंने यहां पर की है और असली बात क्या हुई, इसके बारे में क्या तथ्य थे, अपना वक्तव्य इसके बारे में दें।

श्री जगत सिंह दायमा (बानसूर): अध्यक्ष महोदय, इसके बावजूद इतना खराब खेल प्रदर्शन किया है भारत की टीम ने....

श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा) : अध्यक्ष महोदय, जो फर्जी टिकटों के मामले में आश्वस्त किया था वे तो बंटी हैं, लेकिन जो लाठी चार्ज हुआ, वह आर. एस. एस. और शिव सेना के लोग थे जो पिच खोदने गये थे उन पर लाठी चार्ज हुआ।

श्री जगत सिंह दायमा : भारतीय क्रिकेट की टीम जयपुर में आनी ही नहीं चाहिए आज के बाद। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : और खेल मंत्री जी से भी वक्तव्य दिलाया जाए। खेल मंत्रीजी से भी दिलाया जाए।

श्री राधेश्याम गंगानगर : सिवाय लूटने के कुछ नहीं किया है....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : अध्यक्ष महोदय, सदन के अन्दर खेल मंत्रीजी ने भी एक वक्तव्य दिया था। वक्तव्य यह दिया था कि जितनी क्षमता स्टेडियम की है उससे ज्यादा....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सदन में इस तरह से आप बातचीत नहीं कर सकते (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सदन में यह सरकारी बैंच का प्रदर्शन है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि इसी सदन में आपके सम्मुख खड़े होकर खेल मंत्रीजी ने वक्तव्य दिया था कि क्षमता से ज्यादा लोगों को प्रवेश स्टेडियम में नहीं दिया जाएगा, सारी माकूल व्यवस्थाएं हैं। अध्यक्ष महोदय, अन्तरराष्ट्रीय क्रिकेट के इस मैच के बाद जयपुर और राजस्थान सरकार की प्रतिष्ठा पर आंच आयी है। जिस तरह की अव्यवस्था वहां पर थी, लोगों पर लाठी-चार्ज हुआ और क्षमता से दुगुने लोगों ने उस स्टेडियम में प्रवेश किया। इसलिये अध्यक्ष महोदय, खेल मंत्रीजी ने जो वक्तव्य दिया है उस पर भी स्पष्टीकरण दिया जाए।

श्री राधेश्याम गंगानगर : इसका कारण आर.एस.एस. के लोग थे। इसका कारण आर.एस.एस. के लोग थे।

श्री जगत सिंह दायमा : इसमें खेल मंत्रीजी का दोष नहीं। इसमें तो लोग खेल में....(व्यवधान) करके आ गये। खेल को लोग छोड़कर आ गये इस खेल को····(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (अटरू) : अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय स्वयं संघ सेवक के लोग ईमानदार हैं, राष्ट्र भक्त हैं। हम बल्कि कांग्रेस के लोगों की तरह +++ नहीं हैं, कांग्रेस सेवा दल के लोगों की तरह उन +++ (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : आर.एस.एस. के लोग थे जिन्होंने अव्यवस्थाएं की। (व्यवधान) गिना भी सकता हूं लेकिन सदन का (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : इन्होंने +++ बताया है, शब्दों को अपलोपित कराया जाए। कांग्रेस के लोग हैं जो आपकी संख्या इतनी कम रह गयी....(व्यवधान) जो +++ होता है वह दूसरों को +++ बताता है। आप +++ हो इसलिये दूसरों को +++ बता रहे हो। ये खुद +++ हैं इसलिये दूसरों को बता रहे हैं····(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : +++ (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) (सरकारी मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि आसन की एक व्यवस्था हो गयी कि आज कोई विषय विचारार्थ नहीं लिया जाएगा। आज शून्य-काल भी नहीं है, आज प्रश्नकाल भी नहीं है। परम्परा सदन की यह रही है कि जिस दिन बजट प्रस्तुत किया जाता है उस दिन सिर्फ इसका अभिभाषण होता है। उसके बारे में बिजनस एडवाइजरी कमेटी ने इसके साथ (व्यवधान)

श्री मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : जब आप बिजनस लोगे तो शून्यकाल तो होगा। माननीय मुख्य सचेतक महोदय, आप....(व्यवधान) नियम हैं पढ़े। अगर आप बजट के अलावा दूसरी कार्य सूची सदन में रखेंगे तो उस रोज शून्यकाल तो होगा ही होगा। फिर आप दूसरी क्यों रख रहे हैं? फिर तो होगा....

श्री हरिसिंह (महुवा) : मैं समझता हूं, माननीय सदस्य, अब व्यवधान करके....

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री हरिसिंह)

(व्यवधान) बिजनस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में सिर्फ उपाध्यक्ष के चुनाव···· (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : कहां से ऐसे क्षण भी कभी-कभी आते हैं।

श्री हरिसिंह (महुवा) : और इसके अलावा जो कोई भी यहां माननीय सदस्य के भाषण, अभिभाषण, आरोप-प्रत्यारोप यहां हुए हैं, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि उनको सदन की कार्यवाही से निकालना चाहिये। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर (दूदू) : कांग्रेस सेवा दल का गठन देश की आजादी को लेकर हुआ है, ऐसे संगठन के प्रति माननीय सदस्य दिलावरजी ने जो आरोप यहां लगाये हैं उनको सदन के सामने क्षमा मांगनी चाहिये। उनको शर्म आनी चाहिये कि इस तरह की बात यहां सदन में बोलते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं निन्दा प्रस्ताव रखता हूं इस पक्ष में और मैं प्रार्थना करता हूं कि माननीय सदस्य को क्षमा याचना इस सदन में करनी चाहिये।

श्री अमराराम (धोद) : क्या आरोप लगे हैं ? (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : किसी से छिपी हुई नहीं है ···(व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर : कार्यवाही से निकाला जाए··· (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : उनको लूटते हुए एक स्टाल को, रेलवे स्टालों को ·· (व्यवधान) यह घटना किसी से छिपी हुई नहीं है (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज की कार्यवाही से मदन दिलावरजी का नाम आ जाना चाहिये, मेरी आपसे प्रार्थना है। मैं व्यवस्था.... (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : शर्म आने की बात है इनकी। आप जैसे लोग··· (व्यवधान) आर.एस.एस. के लोग इस तरह के होते हैं। यह राष्ट्रीय कांग्रेस है जिसने देश को आजादी दिलायी है। आपने ऐसे शब्द कहे, अपने शब्द वापस लो। सदन के सामने क्षमा मांगो। इसको निलम्बित किया जाए सदन से। माननीय अध्यक्ष महोदय ये राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के बारे में कह रहे हैं जिसने देश को आजादी दिलायी है। गांधीजी, नेहरूजी, श्रीमती इंदिरा गांधी, हजारों महापुरुष थे जिन्होंने इस देश को आजादी दिलायी और आप ऐसे शब्द काम में लेते हो, शर्म आने की बात है।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, दोनों पक्ष के सदस्यों ने असंसदीय शब्दों का प्रयोग किया है, मेरा आपसे अनुरोध है कि उसको कार्यवाही से निकाल दिया जाए।

श्री अध्यक्ष : जो कार्यवाही में है, असंसदीय शब्दों का प्रयोग किया, उनको देख करके मैं कार्यवाही से निकाल दूंगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : अध्यक्ष महोदय, नियमों में शून्यकाल कहीं परिभाषित नहीं किया गया है। बजट और गवर्नर एड्रेस की सैंक्टिटी होती है। लेकिन

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

बजट के बाद अगर दूसरा बिजनस रखा जाता हैं, शून्यकाल क्या होता है ? पूर्व निश्चित कार्यवाही के पहले कोई इम्पोर्टेंट मैटर अगर सदन में माननीय अध्यक्ष महोदय के ध्यान में लाया जाए और उस पर चर्चा करायी जाए, वह शून्यकाल होता है। तो, अध्यक्ष महोदय, आपने बिजनस रख दिया। बजट के बाद अगर हाउस डिस्पर्स हो जाता, एडजोर्न हो जाता तब तो बात अलग थी। बाकी आपका यह निर्णय, माननीय मुख्य सचेतक महोदय का कहना, मैं उनसे सहमत नहीं हूं। यह कतई उचित नहीं है। ये कह रहे हैं शून्यकाल आज नहीं रखा गया। शून्यकाल आपकी मर्जी से रखना, नहीं रखना नहीं हैं। शून्यकाल तो शून्यकाल होता है। यदि आपने बिजनस रखा है तो पूर्व निश्चित कार्यवाही को स्थगित करके पहले विचार किया जाए, नियम 50 के अन्दर यह है। नियम 50 के अलावा कोई अन्य विषय महत्वपूर्ण होते हैं तो माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से लाये जाते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय अनुमति देते है, गवर्नर से स्टेटमेंट भी आता हैं उसमें....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य नियम 50 के अन्तर्गत कोई भी विषय, मेरे सम्मुख कोई भी प्रस्ताव नहीं है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : बिना प्रस्ताव भी ला सकते हैं आपकी अनुमति से।

श्री अध्यक्ष : इसलिये मैंने यह निवेदन किया था। उपाध्यक्षजी का जो निर्वाचन हैं यह आइटम भी सदन के नेता और प्रतिपक्ष के नेता, दोनों से मैंने सलाह करके 23 तारीख को यह आइटम यहां पर रखा था। वे आज आ नहीं सके, उन्होंने मुझे चिट्ठी भेजी है। मुझे चिट्ठी भेजी है प्रतिपक्ष के नेता ने कि आज उनके सम्बन्धी का स्वर्गवास हो गया है इसलिये वे दाह संस्कार में गये हैं। यह बात जरूर है कि संयुक्त कांग्रेस के नेता महोदय से मैं परामर्श नहीं कर सका। लेकिन वे सहयोग करेंगे साथ में। अब मैं उपाध्यक्ष के निर्वाचन.... (व्यवधान)

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : आपने पक्ष और प्रतिपक्ष के नेताओं से लिया, थर्ड फोर्स को आपने इग्नोर कर दिया। कृपया हमसे भी... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : दोनों ही सदन के नेता और प्रतिपक्ष के नेता मेरे चैम्बर में आ गये थे इसलिए मैंने परामर्श ले लिया और बातचीत करने के बाद में इसको रखा है। तो भी अगर आप इस संबंध में कोई बात कहना चाहते हैं तो उपाध्यक्ष के चुनाव के बाद में कह दीजिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, उसका प्रश्न नहीं है, सदन के नेता महोदय और प्रतिपक्ष के नेता महोदय शून्यकाल को गायब नहीं कर सकते हैं। शून्य काल को तो अध्यक्ष महोदय अगर बेहतर नहीं समझें और अनुमति नहीं दें तो बात अलग है वरना शून्यकाल तो अपनी जगह रहेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय को अधिकार हैं कि वे कह दें कि यह महत्व का विषय नहीं है, मैं अनुमति नहीं देता हूं। बाकी शून्यकाल को तो सदन के नेता महोदय और प्रतिपक्ष के नेता महोदय भी गायब नहीं

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

कर सकते हैं। पूर्व निश्चित कार्यवाही के बाद शून्यकाल तो आएगा।

श्री जगत सिंह दायमा : चुनाव को पोस्टपोन करो। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : अनुमति ही नहीं ली किसी ने।

श्री अध्यक्ष : बजट की सैंक्टिटी और उपाध्यक्ष महोदय के चुनाव की गरिमा को देखते हुए आज प्रश्नकाल भी नहीं रखा, ना जीरो आवर रखा है तो भी इनके चुनाव के बाद में अगर कोई माननीय सदस्य बात कहना चाहते हैं तो आपको मैं अवसर दूंगा।

डा. किरोड़ी लाल : जो फर्जी टिकट बिके हैं क्रिकेट के मामले में....

श्री अध्यक्ष : नहीं, बाद में कहना।

डा. किरोड़ी लाल : आपने व्यवस्था दी है तो मैं निवेदन करूंगा कि जो काले हिरण मारे गये हैं उसके बारे में भी···· (व्यवधान) जो काले हिरण मारे गये हैं जैसी व्यवस्था उसके बारे में दे दें, ऐसा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : कौनसी व्यवस्था ? मैंने कोई व्यवस्था नहीं दी है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : माननीय अध्यक्ष परमीशन देवें।

उपाध्यक्ष का निर्वाचन
श्री देवेन्द्रसिंह, सदस्य विधान सभा का उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचन

श्री अध्यक्ष : श्री खेतसिंह राठौड़ प्रस्ताव करेंगे।

श्री खेतसिंह राठौड़ (संसदीय कार्य मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि देवेन्द्रसिंह सदस्य, विधान सभा (विभाजन संख्या 67) को राजस्थान विधान सभा का उपाध्यक्ष निर्वाचित किया जाए।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिसिंह (महुवा)।

श्री हरिसिंह (महुवा) (सरकारी मुख्य सचेतक) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री शिवचरण जी माथुर।

श्री शिवचरण माथुर (मांडलगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि देवेन्द्रसिंह, सदस्य, विधान सभा (विभाजन संख्या 67) को राजस्थान विधान सभा का उपाध्यक्ष निर्वाचित किया जाए।

श्री अध्यक्ष : श्री राजेन्द्र चौधरी।

श्री राजेन्द्र चौधरी (राज्य मंत्री, सूचना एवं जन सम्पर्क) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : डा. चन्द्रभान प्रस्ताव करेंगे।

डा. चन्द्रभान (ऊर्जा मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री देवेन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा (विभाजन संख्या 67) को राजस्थान विधान सभा का उपाध्यक्ष निर्वाचित किया जाए।

श्री अध्यक्ष : श्री महेश जोशी।

श्री महेश जोशी (सरकारी उप मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूं।

श्री जगत सिंह दायमा : शांति पहाड़िया को बनाना चाहिए था। महिला को लेना चाहिए था।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आज का चुनाव होना था तो अपेक्षा यह थी कि सत्ता पक्ष हमसे भी सलाह करता और मिलकर कोई नाम दिया होता.... (व्यवधान) एक सैकण्ड, बात तो सुनिये।

श्री खेतसिंह राठौड़ : बात की है।

श्री भंवरलाल शर्मा :....तो मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूं।

श्री जगतसिंह दायमा : किसी महिला को लेना चाहिए था।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : इस प्रस्ताव का हमारी ओर से समर्थन करता हूं। हमारे दल की ओर से समर्थन करता हूं।

श्री जगत सिंह दायमा : आप महिलाओं को क्या सम्मान देंगे ?

श्री भंवरलाल शर्मा : अगर पहले बात हो गई होती तो ज्यादा अच्छा होता लेकिन इसके बावजूद भी इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : लगता ऐसा है प्रतिपक्ष के नेता और उप नेता के बीच में कम्युनिकेशन गैप रह गया है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : अभी उप नेता कोई नहीं है।

श्री महेश जोशी : आप अपने माननीय नेता से अलग हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : चूंकि इनकी संख्या 153 है इसलिए हमसे विचार तक नहीं किया, यह बहुत बुरी बात है।

श्री महेश जोशी : अध्यक्ष महोदय, यह बिलकुल गलत बात है। माननीय विपक्ष के नेता महोदय से विचार-विमर्श किया गया है और बार-बार इस बात को दोहराना ...

श्री जगत सिंह दायमा : हमसे भी नहीं किया गया।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय का चुनाव सर्वानुमति से हो गया था तो उपाध्यक्ष महोदय के चुनाव का किसी ने भी फार्म नहीं भरा, यह भी सर्वानुमति से समर्थन करते... (व्यवधान) तो अच्छा होता। एक आध समर्थन, अनुमोदन हम लोगों की तरफ से भी कर लेते। आपके तीन-तीन प्रस्ताव, तीनों आप ही रख रहे हो और आप ही समर्थन कर रहे हो। एक आध अनुमोदन हममें से किसी से करा लेते जब सर्वसम्मति से चुनाव कराना था। खैर, हम समर्थन करते हैं, अनुमोदन कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव श्री खेतसिंह राठौड़, विभाजन संख्या 27 ने प्रस्तुत किया है और जिसका अनुमोदन श्री हरिसिंह महुवा, विभाजन संख्या 189 ने किया है वह स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

(श्री अध्यक्ष)

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया।

श्री जगतसिंह दायमा : किसी महिला को बनाना चाहिए था।

श्री अध्यक्ष : श्री देवेन्द्रसिंह, सदस्य.... बैठिये, बैठिये आप, Mr., Parliamentary Affairs Ministers, please take your seat.

श्री देवेन्द्रसिंह, सदस्य, विधान सभा (विभाजन संख्या 67) राजस्थान विधान सभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित घोषित किये जाते हैं।

कृपया अपना-अपना स्थान ग्रहण करें।

बधाई एवं आभार

श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष के निर्वाचन पर बधाई

उपाध्यक्ष पद पर निर्विरोध श्री देवेन्द्र सिंह जी के निर्वाचित होने पर मुझे प्रसन्नता है और मैं उनको हार्दिक बधाई प्रेषित करता हूं।

आप विधान सभा के सदस्य भी रह चुके हैं और कार्यपालिका में एक मंत्री की हैसियत से काम करने का आपको अवसर मिला है। आपकी क्षमता, योग्यता और प्रतिभा से इस सदन के सुचारु रूप से कार्य संचालन के अन्दर सफल होंगे और इस सदन की स्वस्थ परम्पराओं को आगे बढ़ाएंगे। मुझे यह भी प्रसन्नता है कि मेरे कार्य में पूर्ण सहयोग और सहायता आपकी मुझे मिलेगी।

उपाध्यक्ष महोदय के कार्य संचालन में आप निश्चित रूप से इस आसन का गौरव और सदन की प्रतिष्ठा और गरिमा को आगे बढ़ाएंगे।

अन्त में आपको मैं मेरी ओर से शुभ-कामनाएं प्रेषित करता हूं।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री) : उपाध्यक्ष चुने जाने पर मैं अपनी ओर से और सदन की ओर से माननीय श्री देवेन्द्र सिंहजी को बधाई देता हूं। जैसे अभी आपने विचार प्रकट किये, मैं भी उनमें अपनी भावना मिलाते हुए यह कहना चाहूंगा कि देवेन्द्रसिंह जी सदन के पुराने सदस्य रहे हैं और कुशल प्रशासक के रूप में मंत्री पद को सुशोभित कर चुके हैं। वे अपनी योग्यता से, अपनी क्षमता से और अपने प्रशासनिक अनुभव से सदन के संचालन में आपका सहयोग करने में कामयाब होंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं, आपकी भी इच्छा थी कि सदन के उपाध्यक्ष के रूप में जल्दी से चुनाव हो जिससे कि आपको एक सहयोगी मिल सके। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज सदन ने सर्वसम्मति से उनको उपाध्यक्ष चुना है। देवेन्द्र सिंहजी से भी सदन अपेक्षा करेगा कि वे सदन की भावनाओं के अनुरूप ही पूरी निष्पक्षता के साथ में सदन का संचालन कर हम सबका मार्गदर्शन करें। मैं अपनी ओर से और सदन के तमाम सदस्यों की ओर से एक बार पुनः श्री देवेन्द्र सिंहजी के प्रति मंगलमय कामना करता हूं कि वे सदन के संचालन में बहुत कामयाबी हासिल करें और अपनी एक अमिट छाप छोड़ सकें, ये मेरी आपको शुभकामनाएं हैं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि देवेन्द्र सिंहजी जो मेवाड़ क्षेत्र के हैं, उन्हें इस पद पर सबकी सहमति से चुना गया। इसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं।

मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि नयी विधान सभा के चुनाव के तुरन्त बाद बिना अधिक समय जाया किये उपाध्यक्ष के पद का विधिवत चुनाव हुआ, उसके लिए मैं आपको भी अपनी ओर से बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। हम चूंकि विपक्ष के सदस्य हैं, हमारी हमेशा एक बात की इच्छा रहती है क्योंकि इस विधान सभा के चुनाव के बाद विपक्ष की संख्या काफी कम है, लेकिन फिर भी हम लोग जनता की भावना को लाकर इस सदन में रखने का प्रयास करते हैं। उसमें मैं उपाध्यक्ष महोदय से यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि हम विपक्षी सदस्यों को अपनी बात को रखने के लिए मौका दें, हमारे साथ न्याय करें। मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से आपको विश्वास दिलाता हूं कि राजस्थान की इस महान विधान सभा के अतीत से लेकर अब तक जिन नियमों का पालन करते हुए सम्पूर्ण देश में अपनी एक छाप बनी हुई है, इस प्रदेश की विधान सभा अपने नियमों के तहत चलकर एक आदर्श कायम किये हुए हैं, हम उसका पालन करते हुए राजस्थान के इस सर्वोच्च सदन का सम्मान बढ़ाने में आपको पूरा सहयोग करेंगे। एक बार फिर मैं अपनी ओर से, अपने दल की ओर से आपको बहुत-बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय श्री देवेन्द्र सिंहजी जो भीलवाड़ा से आते हैं, इनके सर्वसम्मति से राजस्थान विधान सभा के उपाध्यक्ष पद पर चुने जाने पर मेरी ओर से और मेरे दल की ओर से हार्दिक बधाई प्रेषित करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या ही अच्छा होता कि लोक सभा की तरह, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों की तरह स्वच्छ लोकतन्त्र की परम्पराओं का निर्वाह करते हुए राजस्थान में भी विपक्ष को उपाध्यक्ष का पद देते। लेकिन चूंकि पिछली सरकार ने भी भारतीय जनता पार्टी का ही अध्यक्ष चुना था और उन्होंने भी इस परम्परा का निर्वाह न करके अपना उपाध्यक्ष बनाया था। अच्छा तो यह है कि स्वच्छ लोकतन्त्र में अध्यक्ष सत्ता पक्ष का हो और उपाध्यक्ष विपक्ष का हो, ऐसा होता। लेकिन फिर भी श्री देवेन्द्र सिंहजी को सर्वसम्मति से इस सदन का उपाध्यक्ष चुना गया है, ये सदन को निष्पक्ष रूप से चलाएंगे, हम इनका पूरा सहयोग करेंगे। एक बार पुनः इनको हार्दिक बधाई प्रेषित करता हूं। धन्यवाद।

श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा) : अध्यक्ष महोदय, विधान सभा के उपाध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित माननीय देवेन्द्र सिंह जी को मैं मेरे दल की ओर से शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। परम्पराओं की जहां तक बात है, अध्यक्ष महोदय, डेमोक्रेसी की स्वस्थ परम्परा तो यह है कि आप और उपाध्यक्षजी जब पद पर चुन लिए जाते हैं–इंग्लैण्ड को हमने अडाप्ट किया है, वहां स्वस्थ परम्परा यह है कि अपनी पार्टी से सम्बन्ध विच्छेद कर लेते हैं। औपचारिक रूप से आप अपने दल से सम्बन्ध विच्छेद

(श्री जगमाल सिंह यादव)

न करें लेकिन हकीकत तरीके से चेयर पर जब बैठें तो मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि आप अपनी दलीय भावनाओं से और क्षेत्रीय भावनाओं से, जैसे कटारिया साहब ने कहा कि हमको फख् है कि आप मेवाड़ से हैं, आप मेवाड़ के नहीं, आप राजस्थान के उपाध्यक्ष हैं, मैं अपेक्षा करता हूं कि न आप क्षेत्रीय भावनाओं में प्रभावित होंगे, न अपनी पार्टी की तरफ से आप प्रभावित होंगे और सदन को न्याय देंगे। जैसा कटारिया साहब ने कहा, हम आपसे ज्यादा अपेक्षा रखते हैं क्यों हमारी पार्टी का वर्तमान में एक मैम्बर हैं। अगली बार इनसे ज्यादा हम आएंगे, साम्प्रदायिक पार्टियों से ज्यादा हम आएंगे इसलिए विशेष तरजीह आप हमको देंगे, हमारा आपको सहयोग होगा। शुक्रिया।

श्री अमराराम (धोद) : माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री देवेन्द्र सिंह जी जो राजस्थान विधान सभा के उपाध्यक्ष पद पर सर्वसम्मति से चुने गए हैं उसके लिए मैं उनको हार्दिक बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस सदन को चलाने मे पूर्व परम्पराओं को निभाएगे और प्रतिपक्ष के जो सदस्य हैं उनको राजस्थान की जनता की आवाज यहां रखने के लिए नियमानुसार मौका प्रदान करेंगे। मैं पुनः उनको बधाई देता हूं।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने आपको आपके द्वारा व्यक्त भावनाओं में सम्मिलित करते हुए माननीय देवेन्द्रसिंहजी को उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचित होने के लिए बधाई देता हूं मेरे समूह की तरफ से, दल नहीं, जो आपके द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, की ओर से बधाई देता हूं आसन पर उपाध्यक्ष आपका वजन हल्का करने के लिए काफी समय बैठते हैं, वह स्थिति कई दफा सदन में हो जाती है, वाद-विवाद भी होता है, गर्मागर्मी भी होती है उस समय आपको चैम्बर से आना न पड़े, ये स्थिति को नियंत्रित करें, हमारे हितों की रक्षा करें यह अपेक्षा करता हूं अध्यक्ष महोदय, आप पूरी उदारता बरतें. हम लोगों को पूरा समय दिलाए यही मेरा व्यक्तिगत और समूह की ओर विशेष अनुरोध है।

श्री जीतमल (बागीदोरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्यारहवीं राजस्थान विधान सभा के उपाध्यक्ष पद पर माननीय देवेन्द्र सिंहजी के निर्विरोध चुने जाने के लिए मैं जनता दल की ओर से उनका हार्दिक स्वागत और अभिनन्दन करता हूं। साथ ही मैं सुझाव देना चाहता हूं कि पिछली गवर्नमैंट ने भले ही नाता तोड़कर प्रतिपक्ष का उपाध्यक्ष नहीं बनाया, लेकिन मैं इस मौके पर इतना जरूर कहना चाहता था कि इतने बड़े दल में अगर कांग्रेस के चुने हुए माननीय विधायक महोदय यह महसूस करते कि हमारी पार्टी राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत और इस देश को आजाद कराने वाली पार्टी रही है, क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी के, विपक्ष के व्यक्ति को इस पद पर बिठाते। इतना ही नहीं मैं इस मौके पर यह भी कहना चाहता हूं, 33 प्रतिशत महिलाओं को आरक्षण देने की जहां बात की जाती है तो इस मौके पर पिछड़े वर्ग की किसी महिला को बिठाया जाता तो और ज्यादा उचित होता, ऐसा

(श्री जीतमल)

मैं महसूस करता हूं। इतना ही कहकर आपका जो निर्विरोध चुनाव हुआ उसके लिए मैं आपका पुनः स्वागत, अभिनन्दन करता हूं। जयहिन्द।

श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष का आभार

श्री देवेन्द्र सिंह (उपाध्यक्ष) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं और हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी का, हमारे सदन के नेता आदरणीय अशोक जी गहलोत का, उनकी कृपा और आशीर्वाद से और सबके सहयोग से मुझे निर्विरोध उपाध्यक्ष निर्वाचित होने का गौरव प्राप्त हुआ है। (व्यवधान) इसी के साथ मैं आपके सहयोग की अपेक्षा करता हूं।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैं भीलवाड़ा जिले के बड़लियास जैसे छोटे-से गांव में पैदा हुआ और एक साधारण पंच की हैसियत से राजनीति शुरू की। तब मुझे कल्पना भी नहीं थी कि आज इस गौरवमय पद पर मुझे आसीन होने का सौभाग्य प्राप्त होगा। मुझे इस बात का गर्व हैं कि ऐसे अध्यक्ष महोदय जिनको पूरा अनुभव प्राप्त हैं जो बहुत ही सहनशील हैं और जिनका लम्बा राजनीति जीवन है, उनके सानिध्य में मुझे काम करने का अवसर प्राप्त हुआ और मुझे कुछ सीखने का अवसर मिलेगा। मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपके बताये हुए मार्ग पर, आपकी दी हुई जिम्मेदारी पर निष्पक्षता से खरा उतरने की कोशिश करूंगा।

मैं इस अवसर पर हमारे माननीय सदस्यों जिन्होंने मेरा समर्थन किया और प्रस्ताव किया, उनका भी आभारी हूं। नेताओं ने अभी मेरे प्रति जो कुछ कहा उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं और भरोसा दिलाता हूं कि मैं इस बात की पूरी चेष्टा करूंगा कि सदन निष्पक्षता से चले और इस सदन की गरिमा जिसे देश में गरिमा प्राप्त है, उस गरिमा को हम लोग कायम रखें।

लेकिन एक बात यहां पर कही गई कि उपाध्यक्ष को पार्टी से संबंध विच्छेद कर लेना चाहिए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मैं पिछले 40 साल से कांग्रेस में हूं और यदि मुझे उपाध्यक्ष का पद छोड़ना पड़े तो मुझे मंजूर है लेकिन पार्टी से संबंध विच्छेद करना मुझे मंजूर नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः आप सबके सहयोग की कामना करते हुए आपका आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, आपने व्यवस्था दी थी कि उपाध्यक्ष पद के निर्वाचन के पश्चात जो दो ज्वलंत बातें आपकी आज्ञा से सदन के सम्मुख रखी थी उनमें सरकार का वक्तव्य दिलाएंगे। अध्यक्ष महोदय, आपने व्यवस्था दी थी कि....

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी (ओसियां) : मुम्बई का पिच आपने खराब किया, दिल्ली का पिच आपने खराब किया, यहां साहूकार बन रहे हो (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, इसी पवित्र सदन में मंत्री जी ने (व्यवधान) सहमति दी थी, कुछ तो देखिये।

एक माननीय सदस्य : यहां जो टिकिट छपे हैं वे भी फर्जी छपे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय व्यवस्था देखिये, यह सदन .. (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : आपकी घोषणा से तो .. (व्यवधान) माननीय सदन के सारे लोग उठकर जा रहे हैं जबकि सदन की कार्यवाही चल रही है ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप आसन पर बैठे हुए हैं और ये लोग जा रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : Please take your seat. माननीय सदस्य, यह क्या अव्यवस्था फैला रखी है आपने ? मैंने सदन को स्थगित नहीं किया है । कृपया स्थान ग्रहण करें ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष जी, उधर देखिये । (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : हम उनको थोड़े ही देख रहे हैं, हम आपको देख रहे हैं । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सदन को मैंने स्थगित नहीं किया और आप लोग इस तरह अव्यवस्था खड़ी कर रहे हैं । माननीय सदस्यों को कम से कम इस बात की गम्भीरता को ध्यान में रखना चाहिए ।

डा. किरोड़ी लाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, उधर देखिये, तीन-तीन मंत्री खड़े है और आपस में बात कर रहे हैं ।

श्री रामस्वरूप : आप लोग जब यहां थे, आप भी ऐसे ही यहां पर खड़े रहते थे ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि आप रामस्वरूप जी का कोई न कोई इलाज करें । (व्यवधान) इस तरह लेते हैं (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : मेरा भी समर्थन है ।

एक माननीय सदस्य : किरोड़ीलाल जी का और आपका भी करना चाहिये ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : जब कोई इलाज नहीं हो सकता । (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : अध्यक्ष महोदय, मुझे पीड़ा झेलनी पड़ती है, मेरे कान फूट गये हैं (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : अध्यक्ष महोदय, जगतसिंहजी कह रहे हैं इनके कान फूट रहे हैं, रामस्वरूपजी के साइलेन्सर लगवा दें । (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : कुछ न कुछ व्यवस्था करें, अध्यक्ष महोदय, हमारा बहुत बुरा हाल है ।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, ये फिर खड़े हो गये ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : हमारा तो बायां कान भी खराब रहता है और दायां कान भी खराब रहता है, हमारी तो कुछ व्यवस्था कीजिए । इधर दिलावर है और उधर आपके रामस्वरूपजी मीणा ।

श्री अध्यक्ष : मैं आपसे आशा करता हूं, इस सदन के किसी भी माननीय सदस्य के संबंध में कुछ नहीं कहना चाहिये । उपाध्यक्षजी के निर्वाचन के बाद क्रिकेट मैच के संबंध में जो प्रश्न आप खड़े कर रहे हैं, उचित तो यह होता कि सदन की जो अगली

(श्री अध्यक्ष)

बैठक होगी उस दिन इसमें कोई न कोई प्रस्ताव मेरे सम्मुख प्राप्त हो जाए। तब ही उस समय मै अपनी व्यवस्था दे सकूंगा।

श्री भंवरलाल शर्मा : व्यवस्था कर दीजिए, स्टेटमैंट आ जाएगा। आपके सामने बात तो आ गई।

श्री अध्यक्ष : क्योंकि आप लोगों ने इस पर ज्यादा एम्फेसिस दिया था, तों मैंने कहा था इसके बाद में मैं अवसर दूंगा, मगर उसके....(व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : दोनों पर व्यवस्था कर दी जाए, काले हिरण वाले मामले पर और क्रिकेट वाले मामले पर भी। दोनों पर 31 को, साहब।

श्री अध्यक्ष : कल क्रिकेट का मैच हो चुका है, किसी अन्य दिन भी इस पर चर्चा करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आज बजट प्रस्तुत करने की अपनी एक गरिमा है, उपाध्यक्ष के निर्वाचन की भी अपनी एक गरिमा है, इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आज इस प्रश्न पर कोई चर्चा नहीं हो। 31 तारीख को....

डा. किरोड़ी लाल : दोनों ले लो। बीकानेर में जो हुई है काले हिरण मारे जाने की घटना, दोनों ले लो, साहब।

श्री अध्यक्ष : अगर कोई प्रस्ताव मेरे सामने आएगा तो मैं उस पर विचार करूंगा।

सदन की बैठक बुधवार; 31 मार्च, 1999 मध्यान्ह पूर्व 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 13.28 बजे, बुधवार; 31 मार्च, 1999 के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई)